Rubber Board Ann Rep (Hindi) 2000-01

... संस्थान
... Institute of India
... / LIBRARY

परिग्रहण सं./Acc. No: 23773 J.
दिनांक/Date : 27/3/08
आद्यक्षर/Initials

रबड़ बोर्ड का वार्षिक रिपोर्ट

2000-2001

LIBRARY
RUBBER RESEARCH INSTITUTE
OF INDIA
KOTTAYAM - 686 009
237737
27/3/02

रबड़ बोर्ड

भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय

कोषकुन्नु, कोट्टयम - 686002

केरल राज्य

रबड़ बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट

2000-2001

रबड़ बोर्ड
भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय
कीषकुन्नु, कोट्टयम - 686 002
केरल राज्य

...न
... of India
...Y

परिग्र... ...c. No:
दिनांक/Da...:
आद्याक्षर/Initials

अनुक्रमणिका

क्रम सं.		विवरण	पृष्ठ सं.
01	भाग I	प्रस्तावना	01
02	भाग II	रचना और कार्य	03
03	भाग III	रबड़ उत्पादन	07
04	भाग IV	प्रशासन	25
		➤ स्थापना	25
		➤ विपणन	26
		➤ प्रचार एवं जन संपर्क	27
		➤ श्रमिक कल्याण	28
		➤ आन्तरिक लेखा परीक्षा	33
		➤ विधिक	33
		➤ सतर्कता	34
		➤ राजभाषा कार्यान्वयन	35
05	भाग V	रबड़ अनुसंधान	38
06	भाग VI	प्रसंस्करण एवं उपज विकास	45
07	भाग VII	प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श	49
08	भाग VIII	वित्त एवं लेखा	53
09	भाग IX	अनुज्ञापन व उत्पाद शुल्क	56
10	भाग X	साँख्यिकी एवं योजना	66
11	भाग XI	साँख्यिकीय सारणियाँ	69
12	परिशिष्ट	बोर्ड के सदस्यों की सूची	75

2000-2001 के लिए रबड़ बोर्ड के कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट

*****

भाग - I

प्रस्तावना

"हीविया ब्रासीलियनसिस" द्वारा उत्पादित लाटेक्स से संसार के सर्वाधिक बहु उपयोगी कच्चे माल के रूप में जाननेवाला स्वाभाविक रबड़ प्राप्त होता है । इस कच्चे माल का उपयोग भारत में करीब 35000 उत्पादों के निर्माण में किया जाता है तथा राष्ट्र के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में इसकी अपार देन है । इस कच्चे माल की नीतिपरक विशेषता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने रबड़ अधिनियम 1947 के अधीन देश में रबड़ खेती उद्योग के विकास के प्राथमिक लक्ष्य से कोरपोरेट निकाय के तौर पर रबड़ बोर्ड की गठन की । बोर्ड की शुरूआत से ही अनुसंधान एवं विकास को इसका प्रणोद क्षेत्र माना तथा रबड़ के जैविकीय एवं प्रौद्योगिकीय सुधार हेतु अनुसंधान चलाने के लक्ष्य से बोर्ड ने 1955 में भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान की संस्थापना की । साथ ही साथ बोर्ड ने विकास एवं विस्तार की एक श्रृंखला की संस्थापना भी की तथा जिसके फलस्वरूप क्षेत्र के विस्तार, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के क्षेत्रों में रबड़ बागान क्षेत्र के सभी स्तरों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है ।

विश्व के सर्वाधिक फसल देनेवाले क्लोनों में एक एवं लोक प्रिय क्लोन आर आर आई आई 105 का प्रजनन एवं निर्मुक्त करना भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान की उल्लेखनीय देन है । "हीविया" की विभिन्न कृषि प्रणालियों पर कृषि प्रौद्योगिकियाँ भी भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान ने विकसित की है । संस्थान ने रबड़ प्रसंस्करण को सुधारने तथा कृत्रिम रबड़ का प्रभावी रूप से प्रतिस्थापन करने लायक विशेष रबड़ विकसित करने में भी उल्लेखनीय देन की है । प्रसंस्करण फैक्टरियों में प्रदूषण रोकने हेतु विशेष परिस्थिति सुरक्षा प्रणालियों, प्रसंस्करण में ऊर्जा बचाने की विधि, रबड़ काष्ठ के प्रसंस्करण, सहायक आय पैदा करने के कार्यकलाप एवं रबड़ आधारित फसल प्रणालियों पर अनुसंधान के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं ।

बोर्ड इसके प्रारंभ से ही रबड़ की वैज्ञानिक खेती का प्रोत्साहन देता आ रहा है तथा छठी योजना अवधि से रबड़ बागान विकास योजना नामक रबड़ बागान हेतु एक एकीकृत योजना रबड़ के नवरोपण एवं पुनर्रोपण प्रोत्साहित करने हेतु प्रचालित हैं तथा इसे सर्वाधिक सफल योजनाओं में एक माना जाता है । इसके अलावा उत्पादकता में वृद्धि लाने, वैयक्तिक एवं सामूहिक प्रयासों से गुणवत्ता में सुधार लाने, कृषकों के मूल स्तरीय संगठन बनाने हेतु सुविधा प्रदान करना तथा रबड़ खेती द्वारा स्थायी विकास सुनिश्चित करने में सशक्त करने के लिए कृषकों को विकास एवं विस्तार समर्थन दिया जाता है । गैर-पारंपरिक क्षेत्र विशेषकर उत्तर-पूर्वी राज्यों में रबड़ बागानों की वृद्धि दर में उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल की है । जहाँ एकीकृत दृष्टिकोण स्वीकृत करके रबड़ विकास

कार्य चलाये गये थे । उत्तर-पूर्व एवं उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व केरल जैसे अन्य राज्यों के आदिवासी परिवर्तन कृषकों के लिए कार्यान्वित रबड़ आधारित व्यवस्थापन कार्यक्रमों का विशेष जिक्र करना अति आवश्यक है जो उनके सामाजिक आर्थिक विकास/परिस्थिति को बनाये रखना सुनिश्चित करते भी है ।

रबड़ उत्पाद विनिर्माण क्षेत्र को समर्थन देकर, दक्षता में वृद्धि हेतु एवं अवसंरचना विकास हेतु सहायता प्रदान कर स्वाभाविक रबड़ के विभिन्न उपयोगों को प्रोत्साहित करने हेतु बोर्ड अन्य कई उपाय भी अपनाते हैं ।

वर्ष 2000-01 के दौरान निष्पादन

वर्ष 2000-01 के दौरान स्वाभाविक रबड़ का उत्पादन 630,045 टण रहा जबकि वर्ष 1999-2000 के दौरान यह 622,265 टण रहा । वर्ष 1998-99 की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान वृद्धि की दर 2.8 प्रतिशत थी जबकि यह 2000-01 के दौरान घटकर 1.3 प्रतिशत हो गयी । पिछले चार वर्षों के दौरान के कम भावों के नाते प्रमुख छोटी जोतों में सामयिक कृषि प्रणालियों की उपेक्षा एवं विपरीत मौसमिक परिस्थितियाँ इसके मुख्य कारण हैं ।

स्वाभाविक रबड़ के उपभोग वृद्धि में भी कमी का रुख देखा गया । वर्ष 2000-01 के दौरान स्वाभाविक रबड़ का कुल उपभोग मात्र 0.5% की वृद्धि दर पर 631,475 टण रहा जबकि वर्ष 1999-2000 के दौरान यह 6.2% की वृद्धि दर से 628,110 टण रहा । वर्ष 2000-01 के दौरान टायर क्षेत्र में स्वाभाविक रबड़ के उपभोग की वृद्धि प्रत्याशित 5% एवं वर्ष 1999-2000 के दौरान की 10.6% की उपलब्धि के स्थान पर नकारात्मक (-)1.7 प्रतिशत रही ।

मूल्य

इस वर्ष आर एस एस 4 ग्रेड के रबड़ का मासिक औसत मूल्य प्रति क्विन्टल 3,036/- रु. था जो गतवर्ष 3,099/- रु. था ।

XXXXXXX

भाग - II
रचना एवं कार्य

बोर्ड की रचना

रबड़ अधिनियम1947 की धारा 4(3) के अनुसार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे ।

क) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष ।

ख) तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करते हुए दो सदस्य होंगे, जिनमें एक रबड़ उत्पादनहित का प्रतिनिधित्व करनेवाला होगा ।

ग) केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 सदस्य होंगे, जिनमें छः रबड़ उत्पादनहित का प्रतिनिधित्व करेंगे और उन व्यक्तियों में तीन छोटे उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा दस सदस्यों को मनोनीत करेंगे जिनमें से दो विनिर्माताओं एवं चार श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

ङ) संसद के तीन सदस्य होंगे जिनमें लोकसभा द्वारा दो सदस्यों को और राज्य सभा द्वारा एक सदस्य को चुन लिये जाएंगे ।

च) कार्यपालक निदेशक (पदेन); और

छ) रबड़ उत्पादन आयुक्त (पदेन)

कार्यपालक निदेशक का पद अभी तक नहीं भरा गया है ।

31.3.2001 के अनुसार बोर्ड के सदस्यों की सूची रिपोर्ट के अंत में दी गयी है ।

बोर्ड के प्रकार्य

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 8 में बताए गए बोर्ड के प्रकार्य है:-

(i) रबड़ उद्योग के विकास जैसे उचित समझता है वैसे उपायों से प्रोत्साहित करना । इस के लिए इन उपायों का प्रबंध करना है-

क) वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान चलाना, सहायता देना या प्रोत्साहित करना;

ख) छात्रों को रोपण, कृषि, खाद देने एवं छिडकाव की उन्नत रीतियों का प्रशिक्षण देना;

कार्य चलाये गये थे । उत्तर-पूर्व एवं उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व केरल जैसे अन्य राज्यों के आदिवासी परिवर्तन कृषकों के लिए कार्यान्वित रबड़ आधारित व्यवस्थापन कार्यक्रमों का विशेष जिक्र करना अति आवश्यक है जो उनके सामाजिक आर्थिक विकास/परिस्थिति को बनाये रखना सुनिश्चित करते भी है ।

रबड़ उत्पाद विनिर्माण क्षेत्र को समर्थन देकर, दक्षता में वृद्धि हेतु एवं अवसंरचना विकास हेतु सहायता प्रदान कर स्वाभाविक रबड़ के विभिन्न उपयोगों को प्रोत्साहित करने हेतु बोर्ड अन्य कई उपाय भी अपनाते हैं ।

वर्ष 2000-01 के दौरान निष्पादन

वर्ष 2000-01 के दौरान स्वाभाविक रबड़ का उत्पादन 630,045 टण रहा जबकि वर्ष 1999-2000 के दौरान यह 622,265 टण रहा । वर्ष 1998-99 की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान वृद्धि की दर 2.8 प्रतिशत थी जबकि यह 2000-01 के दौरान घटकर 1.3 प्रतिशत हो गयी । पिछले चार वर्षों के दौरान के कम मावों के नाते प्रमुख छोटी जोतों में सामयिक कृषि प्रणालियों की उपेक्षा एवं विपरीत मौसमिक परिस्थितियाँ इसके मुख्य कारण हैं ।

स्वाभाविक रबड़ के उपभोग वृद्धि में भी कमी का रुख देखा गया । वर्ष 2000-01 के दौरान स्वाभाविक रबड़ का कुल उपमोग मात्र 0.5% की वृद्धि दर पर 631,475 टण रहा जबकि वर्ष 1999-2000 के दौरान यह 6.2% की वृद्धि दर से 628,110 टण रहा । वर्ष 2000-01 के दौरान टायर क्षेत्र में स्वाभाविक रबड़ के उपभोग की वृद्धि प्रत्याशित 5% एवं वर्ष 1999-2000 के दौरान की 10.6% की उपलब्धि के स्थान पर नकारात्मक (-)1.7 प्रतिशत रही ।

मूल्य

इस वर्ष आर एस एस 4 ग्रेड के रबड़ का मासिक औसत मूल्य प्रति क्विन्टल 3,036/- रु. था जो गतवर्ष 3,099/- रु. था ।

xxxxxxx

भाग - II
रचना एवं कार्य

बोर्ड की रचना

रबड़ अधिनियम1947 की धारा 4(3) के अनुसार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे ।

क) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष ।

ख) तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करते हुए दो सदस्य होंगे, जिनमें एक रबड़ उत्पादनहित का प्रतिनिधित्व करनेवाला होगा ।

ग) केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 सदस्य होंगे, जिनमें छः रबड़ उत्पादनहित का प्रतिनिधित्व करेंगे और उन व्यक्तियों में तीन छोटे उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा दस सदस्यों को मनोनीत करेंगे जिनमें से दो विनिर्माताओं एवं चार श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

ङ) संसद के तीन सदस्य होंगे जिनमें लोकसभा द्वारा दो सदस्यों को और राज्य सभा द्वारा एक सदस्य को चुन लिये जाएंगे ।

च) कार्यपालक निदेशक (पदेन); और

छ) रबड उत्पादन आयुक्त (पदेन)

कार्यपालक निदेशक का पद अभी तक नहीं भरा गया है ।

31.3.2001 के अनुसार बोर्ड के सदस्यों की सूची रिपोर्ट के अंत में दी गयी है ।

बोर्ड के प्रकार्य

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 8 में बताए गए बोर्ड के प्रकार्य है:-

(i) **रबड़ उद्योग के विकास जैसे उचित समझता है वैसे उपायों से प्रोत्साहित करना । इस के लिए इन उपायों का प्रबंध करना है-**

क) वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान चलाना, सहायता देना या प्रोत्साहित करना;

ख) छात्रों को रोपण, कृषि, खाद देने एवं छिडकाव की उन्नत रीतियों का प्रशिक्षण देना;

ग) रबड़ उत्पादकों को तकनीकी सलाह प्रदत्त करना;

घ) रबड़ विपणन का सुधार;

ङ.) एस्टेट मालिकों, व्यापारियों और विनिर्माताओं से सांख्यिकी का एकत्रण करना;

च) श्रमिकों को काम करने हेतु बेहतर सुविधा व व्यवस्था सुनिश्चित करना, तथा उनकी सुख सुविधाओं व प्रोत्साहनों का सुधार करना; तथा

छ) बोर्ड के अधिकार में दिये गए किसी भी अन्य कार्यों का निर्वहण करना ।

(ii) बोर्ड का यह भी कार्य होगा

क) रबड़ के आयात और निर्यात सहित रबड़ उद्योग के विकास से संबंधित सारे मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देना;

ख) रबड़ से संबंधित किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या योजना में भाग लेने के संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देना ।

ग) इस अधिनियम के कार्यों एवं बोर्ड के कार्यकलापों के संबंध में केन्द्र सरकार और ऐसे अन्य प्राधिकारियों को जैसा निर्धारित हो, अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना; तथा

घ) समय समय पर केन्द्रीय सरकार के निदेशानुसार रबड़ उद्योग से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना और उसे पेश करना ।

रबड़ अधिनियम की धारा 8 में कथितानुसार बोर्ड के कार्यकलापों व प्रकार्यों की तुलनात्मक पुनरीक्षा हेतु सात समितियाँ गठित की गई हैं । ये हैं:- कार्यकारिणी समिति, अनुसंधान एवं विकास समिति, विपणन विकास समिति, रोपण समिति, सांख्यिकी एवं आयात/निर्यात समिति, श्रमिक कल्याण समिति और कर्मचारी कार्य समिति ।

बोर्ड ने 30.9.2000 को श्रमिक हितों के प्रतिनिधित्व करनेवाले श्री के.जी.रवी को 29.9.2001 तक की अवधि के लिए उपाध्यक्ष चुन लिया गया ।

श्री एस.एम.डसलफिन भा.प्र.से. ने श्री के.जे.मात्यु भा.प्र.से. से 6 अगस्त 2000 को अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया ।

बोर्ड एवं समितियों की बैठक

रिपोर्ट वर्ष के दौरान बोर्ड एवं समितियों की निम्न लिखित बैठकें हुई ।

क) बोर्ड की बैठक

07.04.2000 को 139 वीं बैठक
30.09.2000 को 140 वीं बैठक
21.12.2000 को 141 वीं बैठक

ख) समिति बैठकें

18.11.2000, 18.12.2000 एवं 23.2.2000 को कार्यकारिणी समिति/विपणन विकास समिति की संयुक्त बैठक
11.12.2000 को रोपण समिति
25.11.2000 को श्रमिक कल्याण समिति

संगठनात्मक रचना

रबड़ बोर्ड के कार्यकलापों का आठ विभागों द्वारा निष्पादन किया जाता है याने रबड़ उत्पादन, प्रशासन, रबड़ अनुसंधान, प्रसंस्करण एवं उपज विकास, प्रशिक्षण व तकनीकी परामर्श, वित्त एवं लेखा, सांख्यिकी एवं योजना और अनुज्ञप्ति एवं उत्पाद शुल्क । इन विभागों के मुख्य क्रमशः रबड़ उत्पादन आयुक्त, सचिव, निदेशक (अनुसंधान), निदेशक (प्र व उ वि), निदेशक (प्र व त प), निदेशक (वित्त), संयुक्त निदेशक (सां व यो) और निदेशक (अनु व उ शु) हैं ।

बोर्ड के प्रशासन, रबड़ उत्पादन, सांख्यिकी व योजना, अनुज्ञप्ति व उत्पाद शुल्क और वित्त एवं लेखा विभाग, कीषकुन्नु, कोट्टयम - 686 002 के अपने ही कार्यालय भवन में स्थित हैं । अनुसंधान विभाग, प्रसंस्करण व उपज विकास विभाग और प्रशिक्षण व तकनीकी परामर्श विभाग भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान परिसर, कोट्टयम-9 में स्थित हैं ।

अनुज्ञप्ति और उत्पाद शुल्क विभाग के अधीन नौ उप/संपर्क कार्यालय हैं । देश के विभिन्न रबड़ उत्पादित क्षेत्रों में रबड़ उत्पादन विभाग के 3 आंचलिक कार्यालय, 2 न्यूक्लियस रबड़ एस्टेट एवं प्रशिक्षण केन्द्र, 6 पर्यवेक्षी कार्यालय, 41 प्रादेशिक कार्यालय, 1 सहायक विकास अधिकारी के कार्यालय, 189 क्षेत्रीय कार्यालय, 15 प्रादेशिक नर्सरियाँ और 23 टापेर्स प्रशिक्षण स्कूल हैं ।

अनुसंधान विभाग केरल में दो क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र और तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र (दपचारी), उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मिज़ोराम, मेघालय और त्रिपुरा में एक-एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र चलाता हैं । कोट्टयम स्थित पयलट ब्लॉक रबड़ फैक्टरी, चेत्तकल के केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन में स्थित पयलट लैटेक्स प्रसंस्करण फैक्टरी का और कोट्टयम में प्राकृतिक रबड़ के रेडियेशन वलकनीकरण के लिए एक पयलट प्लान्ट का संचालन रबड़ प्रसंस्करण एवं उपज विकास विभाग द्वारा किया जाता है ।

बोर्ड के सारे विभागों एवं कार्यालयों पर अध्यक्ष का प्रशासनिक नियंत्रण होता है । 31.3.2001 के अनुसार बोर्ड के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की संख्या 2280 थी, जिनमें "क" वर्ग के 220 अधिकारी "ख" वर्ग के 611 अधिकारी "ग" वर्ग के 1231 और "घ" वर्ग के 218 कर्मचारी सम्मिलित है । कार्यकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच अच्छा संबंध रहा था । इसके फलस्वरूप वर्ष के दौरान उपलब्धियों का उज्वल रिकार्ड पा सका है ।

आगे के पृष्ठों में विभिन्न विभागों के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है ।

xxxxxxx

भाग - III
रबड़ उत्पादन

रबड़ उत्पादन विभाग का मुख्य कार्य स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन की वृद्धि हेतु स्वीकृत उपायों का कार्यान्वयन है । स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन बढाने के लिए विभाग विभिन्न कार्यक्रमों को रूपायित करता है एवं कार्यान्वित करता है जैसा कि -

1. पुराने गैर आर्थिक बागानों में उच्च उत्पादकतावाली किस्मों से पुनःरोपण का प्रोत्साहन ।
2. तकनीकी एवं वित्तीय सहायता द्वारा नये उद्यमकर्ताओं को नवरोपण की सहायता प्रदान करके रबड़ के अधीन क्षेत्र विस्तार ।
3. वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाकर पहले से विद्यमान बागानों की उत्पादकता बढाने हेतु रबड़ कृषकों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना, बेहतर फसलोत्तर कार्य एवं प्रक्रमण से उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाना ।
4. रबड़ उत्पादक संघ (आर पी एस) नाम से कृषक समाजों का गठन करके छोटी जोतों के क्षेत्र के किसानों को सशक्त करना तथा छोटे कृषकों के स्वयं सहायक ग्रूप के रूप में कार्य करने हेतु उन्हें सुसज्जित करना । विस्तार कार्यों के हस्तांतरण के भाग के रूप में आर पी एसों को विस्तार सेवाएं एवं बोर्ड के अन्य विकास कार्यकलाप चलाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है; एवं
5. रबड़ रोपण क्षेत्र की महिलाओं को विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलापों एवं आमदनी देनेवाले कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देकर समर्थ बनाना ।

यह विभाग कृषकों, टापरों एवं मज़दूरों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन करता है ।

विभाग इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कृषकों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली कई योजनाएं कार्यान्वित करता है । विभाग द्वारा ज़रूरतमंद कृषकों के लिए सिलसिलेदार शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं दौरा कार्यक्रमों का प्रबंध किया जाता है । प्रौद्योगिकी प्रसार प्रक्रिया में मुद्रण माध्यमों, दृश्य-श्रवण उपकरणों, तकनीकी विषयों पर फिल्मों आदि का विस्तृत रूप से उपयोग किया जा रहा है । विभाग का एक अन्य कार्यक्रम कृषकों के खेत में वैज्ञानिक रोपणी का निदर्शन है । विभाग द्वारा रबड़ निर्माण बहिस्राव से जैव गैस निर्माण द्वारा रबड़ बागानों में प्रदूषण नियंत्रण, तद्वारा निर्मित गैस का रबड़ शीट सुखाने हेतु प्रयोग जिससे कि ईंधन लकडी के उपयोग में कमी, अतिरिक्त आय हेतु रबड़ बागानों में मधुमक्खी पालन आदि जैसी विशेष योजनाओं का भी सूत्रीकरण एवं कार्यान्वयन किया जा रहा है । रबड़ रोपणी एवं संबद्ध क्षेत्र के कार्यों में लगी महिलाओं को सुशक्त करने के लक्ष्य से कुछ चयनित महिला विकास कार्यकलाप भी विभाग द्वारा

चलाये जा रहे हैं। विभाग ने चयनित अच्छी तरह कार्य करने वाले रबड़ उत्पादक संघों को आदर्श रबड़ उत्पादक संघों के भी रूप में पहचानने वाले प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केन्द्रों के रूप में विकसित करने एवं समर्थन देने का कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया है । आसपास के संघों को अनुकरण करने हेतु इन आदर्श रबड़ उत्पादक संघों को कार्य करने हेतु आवश्यक अवसंरचनात्मक विकास के लिए इन रबड़ उत्पादक संघों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है । ये प्रयास रबड़ रोपण क्षेत्र में उत्साहवर्धक उपलब्धियाँ हासिल करने में सहायक रहे है । रबड़ कृषकों एवं रबड़ उत्पादक संघों के सम्मान स्वरूप बोर्ड ने उत्तम रबड़ कृषक एवं उत्कृष्ट रबड़ उत्पादक संघ हेतु एक पुरस्कार प्रतिष्ठापित किया है ।

गैर पारंपरिक क्षेत्र के कृषकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के मद्देनज़र अपारंपरिक क्षेत्रों में परिचालित करने हेतु अलग योजनाएं रूपायित की हैं । इसी तरह अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कृषकों के लाभ हेतु ब्लॉक (सामूहिक) रोपणी परियोजना व आदिवासी रबड़ रोपण परियोजना जैसी कुछ विशिष्ट परियोजनाओं एवं सीमा संरक्षण हेतु सहायता, रोपण सामग्री हेतु अतिरिक्त सहायता आदि जैसी योजनाओं का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है । सितंबर 2000 जब कि विश्व बैंक सहायता प्राप्त रबड़ परियोजना समाप्त होने तक अधिकतम योजनाओं की निधि इस परियोजना से प्राप्त होती थी । उसके बाद विभाग के सभी क्रियाकलापों के लिए निधि भारत सरकार द्वारा बोर्ड को बजट समर्थन के रूप में सीधे दी जाती है ।

वित्त वर्ष 2000-01 के दौरान रबड़ उत्पादन विभाग द्वारा प्रचालित विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं तथा प्राप्त प्रगति के सारांश निम्न प्रकार हैः

• **रबड़ बागान विकास योजना :-** यह बोर्ड की प्रमुख योजनाओं में एक है जिसकी निधि उसके बन्द होने तक विश्व बैंक सहायताप्राप्त परियोजना से प्रदत्त की जाती थी । वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के दौरान प्राप्त आवेदन क्षेत्र जारी किये परमिट, अनुज्ञापत्रित क्षेत्र आदि का विवरण निम्न प्रकार हैः

विवरण	1999-00	2000-01
आवेदनों की संख्या	18229	11921
आवेदनों के अनुसार क्षेत्र (हे.)	13392	9427
जारी किये परमिटों की संख्या	13485	8944
अनुज्ञापत्रित क्षेत्र (हे.)	8482	6303
वितरित रकम	19.99 करोड	14.45 करोड

क्षेत्रीय निरीक्षण और आवेदनों की जाँच परख आदि जारी है और अगले कुछ महीनों में सभी योग्य मामलों को परमिट जारी किया जायेगा । रबड़ के कम मूल्य के कारण वर्ष के दौरान रोपण गति में थोडा ह्रास हो गया ।

♦ **<u>आदिवासी रबड़ बागान परियोजना</u>** :- यह परियोजना केरल के चुने हुए आदिवासी परिवारों के पुनर्वास के लक्ष्य से किया है और इस की निधियाँ बोर्ड के मंजूर बजट एवं केरल राज्य सरकार के अंशदान से जुटाई जाती है । परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति निम्न प्रकार है ।

परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान रोपित क्षेत्र - 216 हे.
परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 तक संचित क्षेत्र - 1899 हे.

♦ **<u>ब्लॉक (सामूहिक) रबड़ बागान परियोजना</u>** :- यह योजना अपरंपरागत क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लोगों के आर्थिक स्थिरीकरण के लिये बनाया है जो हमेशा खेत बदलते रहते हैं । वर्तमान में यह परियोजना त्रिपुरा, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक में संबंधित राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता से परिचालित है । इस परियोजना के अधीन रोपण का विवरण निम्न प्रकार है ।

राज्य	2000-01 के दौरान रोपण (क्षेत्र हेक्टरों में)	2000-01 तक संचित योग (क्षेत्र हेक्टरों में)
त्रिपुरा	145	2199
उड़ीसा	59	135
आन्ध्र प्रदेश	4	76
कर्नाटक	102	159
कुल	**310**	**2568**

असम राज्य के करबी आंगलोंग जिला क्षेत्र के सामूहिक (ब्लॉक) रबड़ बागान परियोजना का प्रस्ताव अब भी लंबित पडा है क्योंकि करबी आंगलोंग जिला काउंसिल द्वारा आवश्यक भूमि की पहचान न की जा सकी है तथा हस्तांतरण नहीं किया जा सका है।

• **रबड़ बागानों के लिए बीमाः-** प्राकृतिक दुर्घटनाओं के विरुद्ध रबड़ बागानों की बीमा की जाती है। रबड रोपण विकास योजना के अधीन आनेवाले छोटे बागानों की अनिवार्यतः बीमा की जाती है। उत्पादकों के इच्छानुसार रबड़ बागान विकास योजना के बाहर के पक्व और अपक्व बागानों की भी बीमा की जाती है । यह राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों के समर्थन से प्रचालित है । बीमा किये गये बागानों और क्षतिपूर्ति के तौर पर दी गई रकम का विवरण नीचे दिया जाता है ।

मद	2000-01	2000-01 तक संचित योग
बीमा किये गये अपक्व क्षेत्र (हे.)	4584	83593
बीमा किये गये पक्व क्षेत्र (हे.)	685	10637
दी गयी क्षतिपूर्ति (रु. लाखों में)	33.83	166.22

• **विस्तार स्कंध द्वारा प्रचालित योजनाएंः-** धूम घर के निर्माण, रोलर की खरीद, रबड़ बागानों में मधुमक्खी पालन आदि जैसी योजनाओं के लिये तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता पर आधारित योजनाएँ रूपीकृत और कार्यान्वित की जाती है । विभिन्न योजनाओं के इस वर्ष के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ निम्न प्रकार है । सभी योजनाओं की निधि उपग्रह संग्रहण से दी जाती है ।

योजना	लक्ष्य		उपलब्धि	
	वस्तुपरक	वित्तीय (लाख रुपयों में)	वस्तुपरक	वित्तीय (लाख रुपयों में)
रोलर की खरीद हेतु सहायता	1800 सं.	18.00	1800 सं.	18.00
धूमघर निर्माण हेतु सहायता	600 सं.	18.00	600 सं.	18.00
मधुमक्खी पालन के लिए सहायता	-----	6.00	240 सं.	5.5
फलीदार छादन सस्यों के बीज का वितरण	7.65 मे.ट	4.00	2.65 मे.ट	1.92
स्प्रेयर/डस्टर की खरीद हेतु सहायता	----	3.00	28 सं.	1.72
जैव गैस प्लांट निर्माण हेतु सहायता	-----	20.00	791 सं.	20.05

उपर्युक्त के अलावा निम्न में कथितानुसार की अन्य कुछ योजनाएं मात्र गैर पारंपरिक क्षेत्र में प्रचालन हेतु रूपायित की थी । वर्ष 2000-01 के लक्ष्य और उपलब्धियाँ निम्न प्रकार हैं ।

योजना	लक्ष्य	उपलब्धि
व्यक्तियों को रोलर खरीदने हेतु सहायता	100 सं.	99 सं.
गैर सरकारी संगठनों को मुफ्त में रोलर वितरण	18 "	शुन्य-पुनः निविदा हेतु स्थगित
सीमा संरक्षण (अ.जा/अ.ज.जा)	20.00 लाख रुपये	18.88 लाख रु.(1075 सं.)
सीमा संरक्षण (सामान्य वर्ग)	4.00 लाख रुपये	4.25 लाख रु.(539 सं.)
सिंचाई हेतु सहायता	2.00 लाख रुपये	0.72 लाख रु. (15 सं.)
अपारंपरिक क्षेत्र को परिवहन सहायता (एस्टेट निवेश)	5.00 लाख रुपये	3.74 लाख रु.
धूमघर निर्माण हेतु सहायता	3.00 लाख रुपये	2.44 लाख रु. (56 सं.)

मात्र अपरंपरागत क्षेत्रों के लिए कृषकों के खेतों में प्रदर्शन बागानों की स्थापना के अन्य एक योजना है । इस योजना के अंतर्गत रोपण के सारे व्यय और ऐसे बागानों के रख-रखाव के सारे व्यय का वहन बोर्ड करता है । वर्ष 2000-01 के दौरान ऐसे 6 प्लोटों का विकास किया गया।

• **रोपण सामग्रियों का उत्पादन :-** उत्पादकों को उचित मूल्य पर वितरण करने के लिए अच्छी गुणतावाली रोपण सामग्रियों के उत्पादन और इस क्षेत्र में एकाधिकार तथा बेईमान व्यापार रीति को रोकने के लक्ष्य से, बोर्ड अपनी नर्सरियों का रख-रखाव करते हैं और रबड़ उत्पादक संघों द्वारा प्रायोजित नर्सरियों को बढावा देते है । इसका विवरण नीचे दिया जाता है ।

बोर्ड की पौधशालाओं की संख्या 15
पौधशाला का क्षेत्र 72.17 हे.

वर्ष 2000 के दौरान उत्पादन लक्ष्य एवं उपलब्धि

	लक्ष्य	उपलब्धि
बड़ किए ठूँठ (हरे)	2.35 लाख	2.34 लाख
बड़ किए ठूँठ (भूरे)	14.24 लाख	13.88 लाख
कुल	**16.59 लाख**	**16.22 लाख**

गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्रियों के उत्पादन में उत्पादन के लक्ष्य करीब करीब हासिल किए हैं। बागान की तैयारी एवं पौधशाला स्रोतों की तैयारियाँ हेतु उत्पादित रोपण सामग्रियों का वितरण किया गया ।

टापरों का प्रशिक्षण

• **नियमित पाठ्यक्रम** - रबड़ बागानों के मालिकों/कामगारों को रबड़ टापिंग में नियमित रूप से तीस दिन तक प्रशिक्षण देने के लिए बोर्ड अपना टापेर्स प्रशिक्षण स्कूल चलाता है । बोर्ड के 23 टापर्स प्रशिक्षण स्कूलों में 122 बैचों में 1814 व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए ।

• **ह्स्वावधि पाठ्यक्रम** - बोर्ड द्वारा वर्तमान में कार्यरत रबड़ टापरों को चुने गए बागानों में उनकी दक्षता सुधारने के लिए पांच दिनों के ह्स्वावधि प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाती है । 2000-01 के दौरान 3963 (269 बैचों में) टापरों को ऐसा प्रशिक्षण दिया गया ।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रबड़ विकास

देश के परंपरागत रूप से रबड़ की खेती करनेवाले इलाकों से बाहर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्य याने त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड एवं अरुणाचलप्रदेश रबड़ की खेती के लिए एकदम उपयुक्त पाये गये हैं । इसलिए इस क्षेत्र में विकासात्मक एवं विस्तार गतिविधियों को अधिक ध्यान दिया जा रहा है । परिणामतः खेती के साथ कृषकों की अनभिज्ञता, संचार सुविधाओं की अपर्याप्तता, असुरक्षित कानून और व्यवस्था की स्थिति आदि जैसी कठिनाइयों के बावजूद उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के 4.5 लाख हे. के कुल संभावित क्षेत्र के विरुद्ध 47000 हे. क्षेत्र में रबड़ का रोपण किया जा सका । त्रिपुरा सरकार के वित्तीय समर्थन से कार्यान्वित ब्लॉक रोपण परियोजना एवं विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित सामाजिक रोपण परियोजनाओं का, रबड़ रोपण क्षेत्र एवं बागानों की गुणवत्ता में सुधार करने में अच्छा परिणाम निकल रहा है ।

एन आर ई टी सी एवं जिला विकास केन्द्र

रबड़ की रोपण प्रणालियों से अवगत न रहनेवाले यहाँ के स्थानीय कृषकों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पूरा करने के लिए त्रिपुरा राज्य में एक न्यूक्लियस रबड़ बागान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (एन आर ई टी सी) तथा असम (2) व मेघालय (1) में 3 जिला विकास केन्द्रों का अनुरक्षण विभाग

करता है । कृषकों को रबड़ पौधशाला व पॉलीबैग पौधा तैयार करने में, खेतों में रबड़ के रोपण करने में, टार्पिंग और फसलोत्तर प्रसंस्करण कार्यों में प्रशिक्षण देने हेतु इन केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाएं उपयुक्त की जा रही हैं । वर्ष 2000-01 के दौरान कुल 100 लोगों को इन केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया गया ।

इसके अलावा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त रबड़ परियोजना की वित्तीय सहायता से त्रिपुरा राज्य के अगर्तला में संपूर्ण सुविधाओं से युक्त एक आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र की संस्थापना की है । कृषकों, रोपण कार्यकारियों, रोपण कर्मियों, सरकार पदधारियों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों आदि को प्रशिक्षण देने के लिए लक्षित इस केन्द्र का औपचारिक उद्घाटन किया गया तथा दो बैच का प्रशिक्षण पूरा किया गया ।

विभाग के 'शास्त्रदर्शन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत अपारंपरिक क्षेत्र के चुने हुए 44 रबड़ कृषकों को केरल व कर्नाटक के पारंपरिक खेतीवाले इलाकों में रबड़ खेती के विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं की प्राथमिक जानकारी हासिल करने हेतु अध्ययनार्थ छुट्टी में लाए गए ।

रबड़ रोपण प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र - असम राज्य में रबड़ रोपण प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए एक नयी योजना का प्रस्ताव तैयार करके अनुमोदन के लिए मंत्रालय को भेजा था । असम के सरकार द्वारा नाम मात्र पट्टे पर बोर्ड को दिये गये 150 हेक्टर भूमि में निदर्शन बागान और परीक्षण बागान तैयार करने का प्रस्ताव है । रोपण चरणबद्ध तरीके से करने का प्रस्ताव है । केन्द्र एक आदर्श बागान का कार्य करेगा तथा कृषकों/बागान श्रमिकों को प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ती करेगा । इस योजना के प्रचालन के लिए आवश्यक कर्मचारियों के पदों के सृजन/तैनाती हेतु मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा है ।

विश्व बैंक सहायताप्राप्त रबड़ परियोजना (डब्ल्यू बी ए आर पी)

विश्व बैंक सहायताप्राप्त रबड़ परियोजना जो 1993 से कार्यान्वित की जा रही थी, 30 सितंबर, 2000 को समाप्त हुई । नवरोपण एवं पुनःरोपण कार्यकलापों के अलावा परियोजना के अन्य संघटक जैसे निदर्शक प्लॉट, विस्तार एवं प्रशिक्षण कार्यकलाप आदि का भी कार्यान्वयन रबड़ उत्पादन विभाग द्वारा किया जा रहा है । विवरण निम्न प्रकार है:

★ **पारंपरिक क्षेत्रों में निदर्शन प्लॉट** - पेड अवशोषण की वैज्ञानिक पद्धतियाँ (नियंत्रित ऊर्ध्वगामी टापिंग - सी यू टी) आवश्यकता के आधार पर विविक्तकर खाद प्रयोग (डी एफ ए), मृदा एवं नमी संरक्षण (एस एम सी), रोग नियंत्रण तथा ये सभी प्रणालियाँ एक साथ चयनित कृषकों के खेतों में प्रदर्शित की जाती हैं । वैज्ञानिक तरीके से अनुशंसित प्रणालियाँ अपनाने हेतु वित्तीय सहायताएं प्रदत्त की जाती हैं । परियोजना अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं परियोजना की समाप्ति तक की उपलब्धियाँ नीचे दी जा रहो हैं ।

मद	लक्ष्य	30.9.2000 के अनुसार उपलब्धि	
	सं.	सं.	उपलब्धि का प्रतिशत
सी यू टी	4000	9211	230
डी एफ ए	6000	13205	220
एस एम सी	12000	16519	138
रोग नियंत्रण	3000	6097	203
सभी प्रणालियाँ	275	626	228
योग	**25275**	**45658**	**193**

सभी पाँच मदों में उपलब्धियाँ लक्ष्य को पार किया । आसपास के कृषकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में इन निदर्शन प्लॉटों का उपयोग किया जा रहा है ।

रबड़ उत्पादक संघ

बोर्ड रबड़ कृषकों के बीच रबड़ उत्पादक संघ जैसे स्वयं सहायक समितियों को प्रोत्साहित करके रबड़ कृषकों के बीच आपसी मदद व आत्म-निर्भरता की संस्कृति का बढावा देता है । रबड़ उत्पादक संघ कृषकों को बागान निवेशों के एक साथ प्रापण, सामूहिक प्रक्रमण एवं दलालों से बचाकर रबड़ का विपणन, बागान रख-रखाव से संबंधित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, फसल लेने, प्रक्रमण करने आदि में सहायता प्रदाने करते हैं । कुछ मृत आर पी एसों को पुनःजीवित करने का प्रयास भी किया जा रहां था । नव गठित आर पी एसों का विवरण निम्न प्रकार हैः

नवगठित/पुनःजीवित आर पी एस	2000-01	2000-01 तक संचित
नवगठित आर पी एस	120	2097

उपर्युक्त रबड़ उत्पादक संघों में कुछ रबड़ उत्पादक संघ गैर-जीवंत रहे । वर्ष 2000-01 के दौरान 195 मृत रबड़ उत्पादक संघ पुनःजीवित किए गए ।

^ 300%rf^J

★ **विस्तार अभिकर्ता एवं टापिंग सहायक** - विश्व बैंक परियोजना के अधीन रबड़ के रोपण, रखरखाव एवं फसल लेने की तकनीकी जानकारी के प्रसारण हेतु रबड़ उत्पादक संघों को विस्तार अभिकर्ताओं एवं टापिंग सहायकों का इस्तेमाल करने के लिए प्राधिकृत किया था । तदनुसार आर पी एसों ने योजना के अधीन 300 विस्तार अभिकर्ताओं एवं 300 टापिंग सहायकों को कार्य में लगाए । किन्तु, इस तरह के कर्मियों को लगाने हेतु रबड़ बोर्ड से आर पी एसों को देते रहे वित्तीय समर्थन वापस लेने के फलस्वरूप ऐसे कर्मियों को लगाने का कार्य अधिकतर आर पी एसों ने समाप्त किया है ।

आदर्श रबड़ उत्पादक संघ

विश्व बैंक सहायताप्राप्त परियोजना के अधीन 35 रबड़ उत्पादक संघों, 30 पारंपरिक क्षेत्र में एवं 5 गैर पारंपरिक क्षेत्र में, को आदर्श संघ के रूप में चयन किया है तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केन्द्रों व सामाजिक प्रसंस्करण केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अवसंरचनाओं की संस्थापना हेतु वित्तीय एवं तकनीकी समर्थन प्रदान किया जा रहा है । इन केन्द्रों में संस्थापित सुविधाओं का उपयोग आसपास के आर पी एस एवं कृषकों द्वारा निर्मित शीटों की गुणवत्ता बढाने हेतु उनके द्वारा भी किया जा रहा है । इन आदर्श संघों में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है ।

- **संचार उपकरण** - कृषक समाज को अधिक प्रभावी रूप से प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त रबड़ परियोजना के अधीन दृश्य-श्रव्य उपकरणों व अन्य संचार उपकरणों की खरीद की है जिनका प्रभावी उपयोग संगोष्ठियों एवं समाज बैठकों में किया जा रहा है ।
- **रबड़ पर फिल्में** - विश्व बैंक सहायताप्राप्त रबड़ परियोजना के अधीन विविध तकनीकी विषयों पर 5 फिल्म बनाने का प्रस्ताव किया था ।

नर्सरी प्रबंधन

रोपण एवं अनुरक्षण

उत्पादकता वृद्धि

टापिंग व संस्करण

रोग, कीट और नियंत्रण उपाय

सूचना के प्रसार के लिए प्रभावी हथियार के रूप में इन फिल्मों का उपयोग किया जा रहा है, विशेषकर अपरंपरागत क्षेत्रों में ।

कोरनिस्पोरा पत्ता रोग

केरल व कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों के कृषकों में इस रोग से संभाव्य क्षति एवं कोपर फफूँदनाशी के रोग निरोधक छिडकाव की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा की जा सकी । तथा पिछले सालों की गहन छिडकाव के फलस्वरूप रोग की फैलाव नियंत्रित की जा सकी है । आगे और रोग की फैलाव रोकने के लिए आवश्यक सभी प्रबंध किये गये है । तथा इस विषय पर निरन्तर सतर्कता बरती गयी ।

➢ **महिला विकास परियोजना** - विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत रबड़ संबंधित व्यवसायों में लगी महिलाओं के विकास के लिए कुछ क्रियाकलाप शुरू किए हैं । इस परियोजना के अधीन के कार्यक्रमों का कार्यान्वियन चयनित गैर सरकारी संगठनों के द्वारा किया जा रहा है ।

- बकरी पालन, खिलौना निर्माण जैसे 13 विभिन्न आमदनी पैदा करनेवाले कार्यकलाप, टापिंग, एम्ब्रॉयडरी आदि जैसे चार प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा स्वच्छता शौचालय, स्वास्थ्य शिविर आदि जैसे तीन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान कार्यकलाप कार्यान्वित किये गये ।

- रबड़ उत्पादक संघों के जरिए 6 गैर सरकारी संगठन एवं 5 आदर्श रबड़ उत्पादक संघ इन कार्यक्रमों का कार्यान्वियन कर रहे थे । रबड़ उत्पादक संघों एवं बोर्ड और रबड़ उत्पादक संघों द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित कंपनियों के समर्थन से इन कार्यक्रमों को जारी रखा जा रहा है ।

- **कंप्यूटरीकरण**
  पारंपरिक क्षेत्र के सभी 25 प्रादेशिक कार्यालय रबड़ उत्पादन विकास योजना एवं अन्य योजनाओं के आवेदनों की छानबीन कंप्यूटर से करना शुरू किए । कंप्यूटरीकरण के द्वितीय चरण में चार और प्रादेशिक कार्यालयों, नागरकोविल, मैंगलूर, कुन्दापुरा एवं बारिपाडा के लिए मशीनों की खरीद की है । इन कार्यालयों

में प्रायोगिक सोफ्टवेयरों की संस्थापना का कार्य प्रगति में है । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कार्यालयों के लिए कंप्यूटर खरीदने हेतु आवश्यक कार्रवाई शुरू की है ।

- **प्रशिक्षण कार्यक्रम**

- **अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण** - वर्ष 2000-01 के दौरान विभाग के 15 अधिकारियों को तायलैंड में प्रशिक्षण दिए गए । इसके पहले रबड़ उत्पादन विभाग के 56 अधिकारी मलेशिया/तायलैंड में प्रशिक्षण पर गए ।

- **कृषकों को विदेश में प्रशिक्षण** - वर्ष 2000-01 के दौरान 9 चयनित रबड़ उत्पादक संघों के अध्यक्षों को तायलैंड में विदेशी प्रशिक्षण के लिए भेजे थे । इसके अलावा अध्ययनार्थ दौरे पर चार बैचों में 62 कृषक मलेशिया/तायलैंड/इंडोनेशिया के दौरा पर गए ।

- **स्थानीय प्रशिक्षण** - विभाग के कुल 196 अधिकारियों को आई आई पी एम, मैनेज एवं आई ए आर आई जैसे ख्यातिप्राप्त राष्ट्रीय संस्थानों में विस्तार कार्यविधि, संचार निपुणता, कृषक समितियों की गठन एवं अनुरक्षण आदि विषय पर प्रशिक्षण दिया गया । आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को कंप्यूटर में बुनियादी स्तर का प्रशिक्षण भी दिया गया ।

- **प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम** - विश्व बैंक सहायताप्राप्त रबड़ परियोजना के अधीन त्रिपुरा के 17 आदिवासी विद्यार्थियों की एक बैच को प्राकृतिक रबड़ उत्पादन डिप्लोमा पाठ्यक्रम केरल कृषि विश्वविद्यालय में पूरा करने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान कीं । 19 विद्यार्थियों की दूसरी बैच अब पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पा रही है ।

- **बागान निवेशों की आपूर्ति** - उत्पादकता बढाने के उपाय के तौर पर वर्ष 2000-01 के दौरान रियायती दरों में प्रादेशिक कार्यालयों के द्वारा बागान निवेशों के ज़रूरी मद जैसे खाद, पौधा संरक्षण रसायन एवं टापिंग सामग्रियों की आपूर्ति की गयी । वर्ष 2000-01 के दौरान 28000 हे. क्षेत्र इस योजना के अधीन लाये गये ।

- **परामर्शक अध्ययन** - विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन, कंप्यूटर सोफ्टवेयर का विकास, आर पी एसों को सशक्त करने हेतु अपनाने के उपाय, बोर्ड के विस्तार वितरण प्रणाली को सशक्त करना आदि जैसे 10 विषयों पर परामर्शक अध्ययन विभाग द्वारा चलाए । राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों को ही

परामर्शक कार्य सौंपे थे । इसके अलावा इस विभाग द्वारा कार्यान्वित कुछ योजनाओं के संबंध में उनके प्रभाव का सीधे मूल्यांकन भी किया जा रहा है ।

ग्रूप बैठकें

रबड़ उत्पादक संघों की सहायता से विभाग देहाती गॉवों के रबड़ कृषकों की छोटी छोटी बैठकें आयोजित की जाती है । ऐसी बैठकें प्रौद्योगिकी के प्रसारण हेतु नियमित आधार पर तथा कुछ विशेष विषयों की चर्चा हेतु अभियान के आधार पर आयोजित की जाती थी । अभियान बैठकों में चर्चित विषय छोटे कृषकों द्वारा उत्पादित शीट रबड़ की गुणवत्ता में सुधार रहा । वर्ष 2000-01 के दौरान चलायी गयी बैठकों का विवरण नीचे दिया जा रहा है ।

बैठक का स्वभाव	बैठकों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
पूर्ण दिपसीय संगोष्ठियॉं	48	4928
अर्ध दिवसीय बैठकें	1813	45992
अभियान बैठकें	3954	109646
कुल	**5815**	**160566**

अपरंपरागत क्षेत्र में रबड़ विकास

विभाग ने उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, आन्डमान व निकोबार द्वीप समूह आदि जैसे अपरंपरागत क्षेत्रों में विद्यमान बागवानों के रखरखाव एवं क्षेत्र विस्तार के कार्यकलाप जारी रखे । रबड़ बागान विकास योजना एवं अन्य विस्तार समर्थन योजनाओं के अलावा इन क्षेत्रों में ब्लॉक रबड़ बागान योजनाएं एवं सामूहिक रबड़ बागान योजनाएं कार्यान्वियन में थीं । इस क्षेत्र में रोपण की प्रगति रिपोर्ट में अलग से सम्मिलित की है ।

मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

- नेतृत्व क्षमता वृद्धि, सहभागिता विस्तार प्रबंधन आदि कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु कुछ अधिकारियों को नामांकित किया था । विभाग के सभी विस्तार कर्मियों के लाभ हेतु सभी क्षेत्रों में सहभागिता विस्तार प्रबंधन में क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित कीं । इन कार्यशालाओं से अर्जित दक्षता का सफलतापूर्वक विस्तार कार्यों में उपयोग किया जा रहा है विशेषकर मृत रबड़ उत्पादक संघों को पुनःजीवित करने में ।
- भर्ती किए गए नये कनिष्ठ क्षेत्रीय अधिकारियों को आगमन प्रशिक्षण दिया गया ।
- क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को तकनीकी विषयों पर सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया ।
- प्रबंधन पहलुओं, रबड़ बागान क्षेत्र पर विश्व व्यापार संगठन करार के प्रभाव, रबड़ का भविष्य व्यापार आदि पर संगोष्ठियों में भाग लेने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया ।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारत रबड़ परियोजना

विश्व बैंक सहायताप्राप्त भारत रबड़ परियोजना की औपचारिक शुरुआत इंटरनाशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथ 1993 में करार निष्पादित होने के बाद जनवरी 1994 में हुई। परियोजना 30,1999 को समाप्त होनी थी । किन्तु बोर्ड एवं भारत सरकार के अनुरोध पर परियोजना की ऋण समाप्ति की तारीख 30 सितंबर तक बढायी गयी । ऋण समाप्ति की तारीख और बढाने का अनुरोध तो किया गया था । फिर भी वह मंजूर नहीं किया गया और अतः परियोजना 30 सितंबर 2000 को समाप्त हुई । करार के अनुसार भारत सरकार 92 दशलक्ष अमरीकी डॉलर के ऋण के पात्र थी । लेकिन प्रक्रमण फैक्टरियों एवं बागान विकास के लिए पुनः वित्तीय ऋण देने के लिए नबार्ड के ऋण में कम उपयोगिता होने के कारण अप्रैल 1996 में चलायी मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान 36.5 दशलक्ष अमरीकी डॉलर रद्द किये गये फलस्वरूप आई डी ए का कुल उधार मात्र 55.5 दशलक्ष अमरीकी डॉलर हो गया । इसमें 35.42 दशलक्ष डॉलर रबड़ बोर्ड के लिए है और 20.08 दशलक्ष अमरीकी डॉलर नबार्ड के पुनः वित्तीय ऋण के लिए है। परियोजना अवधि के दौरान रुपये के विरुद्ध अमरीकी डॉलर के परिवर्ती विनिमय दर में परियोजना की कुल निवेश लागत 6331 दशलक्ष रुपये हो गयी है, जो निम्न प्रकार है:

क्र.सं	विवरण	रकम दशलक्ष रुपयों में
i)	रबड़ बोर्ड के द्वारा आई डी ए ऋण	1388
ii)	भारत सरकार निधि	719
iii)	नबार्ड के द्वारा आई डी ए ऋण	605
iv)	लाभान्वितों एवं सहभागी बैंकों का अंशदान	3619
	योग	6331

रबड़ बोर्ड को आई डी ए ऋण परियोजना की कुल निवेश लागत के 21.92% है । परियोजना के अन्तर्गत रबड़ बोर्ड द्वारा किए गए कुल व्यय 2107.41 दशलक्ष रुपये का है ।

परियोजना के 6 मुख्य संघटक हैं याने पुनःरोपण, नवरोपण, प्रक्रमण, उत्पादकता सुधार, संस्थागत विकास एवं त्रिपुरा में महिला एवं आदिवासी विकास और निवेश लागत के प्रतिशत क्रमशः 31, 41, 4, 9, 14 एवं 1 हैं । संस्थागत विकास के पाँच उप संघटक थे । ये हैं अनुसंधान, विस्तार, प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श, रबड़ बोर्ड संगठन व परियोजना संयोजन इकाई। पुनःरोपण के परियोजना क्षेत्र में परंपरागत क्षेत्र केरल और तमिलनाडु सम्मिलित हैं तथा नवरोपण में त्रिपुरा एवं अन्य गैर पारंपरिक क्षेत्र भी शामिल हैं । सभी 6 संघटकों में अच्छी प्रगति हासिल की है।

(क) पुनःरोपण एवं नवरोपण

इन दोनों संघटकों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं । मूलतः पुनःरोपण के लिए कुल लक्षित क्षेत्र के 111.78 प्रतिशत एवं नवरोपण के लिए लक्षित क्षेत्र के 112.67 प्रतिशत हासिल किए । 30,500 एवं 45,000 हे. के लक्ष्य के विरुद्ध क्रमशः 34392 हे. में पुनरोपण एवं 51128 हे. में नवरोपण किया गया । रबड़ बोर्ड ने संचित रूप से पुनःरोपण के लिए 251.88 दशलक्ष रु. तथा नवरोपण के लिए 370.11 दशलक्ष रु. का वितरण किया गया ।

(ख) उत्पादकता वृद्धि

11 कृषि निवेशों का प्रापण थोक में किया गया तथा रबड़ उत्पादक संघों के द्वारा वर्ष 1994 से छोटे कृषकों को वितरित किए । वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक क्षेत्र के मामले में भौतिक उपलब्धि ने लक्ष्यों को पार कर दिया । नवंबर 1996 से रबड़ के दामों में गिरावट होने से

बागान निवेशों की खरीद में अब कमी हुई थी । परिणामस्वरूप भौतिक उपलब्धि एवं वित्तीय उपलब्धि क्रमशः 82.59 प्रतिशत एवं 89.56 प्रतिशत रही । विश्व बैंक परियोजना अवधि के दौरान 305601 हे. में 538.01 दशलक्ष रुपये के निवेशों का वितरण किया गया ।

(ग) संस्थागत विकास

(i) अनुसंधान

विश्व बैंक परियोजना के अधीन शुरू की गयी सभी सात अनुसंधान योजनाओं की अच्छी प्रगति हुई है । अवशोषण अध्ययन के अधीन मिनि काट एवं कम लंबाई के स्पाइरल काट के परीक्षण के एक वर्ष का आशाजनक परिणाम निकला तथा उद्दीप्त मिनि काट के उत्पादन 1/2 एस डी/3 (टापिंग प्रणाली) के तुलनात्मक रहा । इस आशाजनक परिणामों को सम्मिलित करके बडे पैमाने पर परीक्षण शुरू किए गए है । छोटी जोतों में टापिंग पैनल सूखापन पर (टी पी डी) रबड़ उत्पादन विभाग के साथ सहायोग से सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है । अन्तःक्लोनीय परिवर्तनों एवं संबंधों पर आर आर आई आई 105 में अध्ययन शुरू किया गया । प्रारंभिक कर्तोतकों के रूप में अपरिपक्व परागकोश एवं अपरिपक्व पुष्प कलियों को उपयुक्त करके कायिक भ्रूणोद्भव एवं पौधा पुनरुद्भवन की आवृत्ति बढाने हेतु विभिन्न पैरामीटरों का मूल्यांकन किया गया । क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, सुकमा (छत्तीसगढ राज्य) में लगाए गए "होट स्पोट ट्रायल" में एक सूखा प्रभावित क्षेत्र का अच्छा अनुरक्षण किया गया तथा वृद्धि प्राचलों का नियमित रिकार्डिंग जारी रखा । ठंड के प्रति जनन द्रव्यों की सहनशीलता की परख हेतु क्षेत्रीय परीक्षण स्टेशन नागरकाटा में तैयार किये प्रयोग का अनुरक्षण किया गया । रांडम आम्प्लिफाइड पॉलिमोर्फिक डी एन ए तकनीक उपयुक्त करके जंगली हिविया जननद्रव्य के जीनोमिक अभिलक्षणन कार्य जारी रखा । इस उपसंघटक का व्यय 60.70 दशलक्ष रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 53.38 दशलक्ष रुपये रहा ।

(ii) विस्तार

25,275 के लक्ष्य के विरुद्ध 41438 निदर्शन प्लॉटों की स्थापना संचित रूप से की । 2500 के लक्ष्य के विरुद्ध 2022 रबड़ उत्पादक संघों की स्थापना की ।

आदर्श रबड़ उत्पादक संघः चयनित 35 आदर्श रबड़ उत्पादक संघों में लाटेक्स प्रसंस्करण सुविधाओं के सिविल निर्माण कार्य पूरा हुआ तथा प्रसंस्करण शुरू किया गया । इन आदर्श रबड़ उत्पादक संघों ने प्रसंस्करण एवं रबड़ उत्पादक संघ प्रबंधन के प्रशिक्षण केन्द्र के भी रूप में कार्य किया ।

परंपरागत क्षेत्र में महिला विकास कार्यक्रमः परंपरागत क्षेत्र में महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम चरण में 8 गैर सरकारी संगठनों को पहचान लिया है तथा 14 कार्यक्रम चलाए गए। दूसरे चरण में 6 गैर सरकारी संगठन एवं 5 आदर्श रबड़ उत्पादक संघ का चयन हुआ जिन्होंने 11 कार्यकलाप चलाए । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 16015 महिलाएं लाभान्वित हुईं ।

केरल तथा कर्नाटक की सीमा में हो रहे कोरनिस्पोरा पत्ता रोग के विरुद्ध छिडकाव योजना के अन्तर्गत करीब 12,000 हे. क्षेत्र में छिडकाव की गई ।

उपसंघटक "विस्तार" के अन्तर्गत 163.48 दशलक्ष रुपये के लक्ष्य विरुद्ध का व्यय 174.28 दशलक्ष रुपये रहा ।

(iii) प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श

कोट्टयम तथा अगर्तला के प्रशिक्षण केन्द्रों का सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । इन दोनों संस्थाओं के लिए आवश्यक उपकरणों व फर्नीचर का प्रापण किया गया है । वर्धित कार्यकलापों के साथ ये केन्द्र नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं । प्रशिक्षण संघटक का व्यय 152.66 दशलक्ष रुपये रहा ।

(iv) रबड़ बोर्ड संगठन

(क) **कंप्यूटर सुविधाः** कंप्यूटरिकरण के प्रथम चरण में 26 कार्यालयों का मुख्यालय से संपर्क के साथ कंप्यूटरिकरण किया गया तथा बागान विकास योजनाओं से संबंधित आंकडों की तैयारी की जाती है तथा मुख्यालय को हस्तांतरित किये जाते हैं । कंप्यूटरिकरण के द्वितीय चरण के लिए हार्डवेयर एवं सोफ्टवेयर की आपूर्ति की गई तथा संस्थापित किया । कुल 69.92 दशलक्ष रुपये का व्यय किया गया ।

(ख) **आदर्श टी एंस आर फैक्टरी :** जनवरी 2001 से फैक्टरी में वाणिज्यक उत्पादन शुरू किया गया ।

(ग) **आर वी एन आर एल सुविधा :** इस सुविधा एवं प्रयोगशाला में पूर्ण रूप से उपस्कर लगाए गए । उत्पाद के विपणन विकास का कार्यक्रम किया जा रहा है । कृत्रिम रबड़ के प्रतिस्थापक स्टेरीन रोपित स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन की प्रौद्योगिकी परिपूर्ण कर दी गयी ।

(घ) **रबड़ काष्ठ परीक्षण प्रयोगशाला** : यह प्रयोगशाला कार्यरत है ।

(ङ) **रबड़ काष्ठ हेतु संवर्धन अभियान** : रबड़ काष्ठ के प्रचार-प्रसार हेतु टी वी वृत्तचित्र एवं वाणिज्यक स्पॉट के निर्माण किए गए ।

(च) **आदर्श रबड़ काष्ठ फैक्टरी** : 60.88 दशलक्ष रुपये के परिव्यय पर आदर्श रबड़ काष्ठ फैक्टरी का निर्माण कार्य करीब करीब पूरा हो गया है तथा फैक्टरी जल्द ही चालू होगा ।

(छ) **आर आर डी टी सी में हरी मेखला एवं शब्द प्रदूषण नियंत्रण** : टी एस आर फैक्टरी व आदर्श रबड़ काष्ठ फैक्टरी व संबद्ध प्रयोगशाला व सुविधाओं वाले रबड़ व रबड़ काष्ठ विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र में एक हरी मेखला प्रदत्त करने तथा शब्द प्रदूषण घटाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की है । केरल कृषि विश्वविद्यालय से हरी श्रृंखला संबंधी तकनीकी सलाह तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलूर से शब्द प्रदूषण पर तकनीकी सलाह प्राप्त की ।

रबड़ बोर्ड संगठन उपसंघटक का व्यय 386.45 दशलक्ष रुपये था जबकि इसका लक्ष्य 457.67 दशलक्ष रुपये रहा ।

महिला एवं जनजाति विकास

4000 परिवारों के लक्ष्य के स्थान पर 4009 परिवारों को इस योजना के अधीन लाया गया। 4009 परिवारों को रबड़ समर्थित आय पैदा करनेवाले क्रियाकलापों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की । एक परामर्शदाता द्वारा चलाये गये परियोजना के प्रभाव के अध्ययन से पता चला है कि जनजातीय लोगों को अपनी झूम कृषि (परिवर्तन कृषि) की आदत से छुडकारा पाने, आमदनी पैदा करनेवाले कार्यकलापों में शामिल होने, बैंकिंग एवं बचत की आदत जगाने तथा अवसंरचना विकास के बोध जगाने में परियोजना सफल हुई है । वित्तीय उपलब्धि 52.97 दशलक्ष रुपये रही ।

त्रिपुरा संघटक

10,000 हे. के लक्ष्य के स्थान पर त्रिपुरा में 9506 हे. में रबड़ का रोपण किया गया । त्रिपुरा के बदल वित्त ऋण योजना के अनुसार 3249 रबड़ कृषकों को संस्थागत ऋण प्रदान किया

गया तथा नबार्ड द्वारा 57.76 दशलक्ष रुपये की पुनः वित्तीय सहायता प्रदान की गयी । त्रिपुरा के कृषकों को ऋण देने योग्य नहीं समझते थे । इस बदल ऋण योजना नहीं रहती तो त्रिपुरा के रबड़ कृषकों को 68.15 दशलक्ष रुपये का ऋण वितरित नहीं किया होता ।

परिवर्तन प्रबंध, परियोजना की निरन्तरता एवं कार्यान्वयन समापन रिपोर्ट

परियोजना क्रियाकलापों की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना की समाप्ति पर स्थायी प्रचालन हेतु परिवर्तन प्रबंध किया गया । वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस आई यु) के अध्ययन समाप्त होने से परियोजना क्रियाकलाप अविच्छिन्न रहने हेतु आवश्यक कर्मचारियों का प्रबंध किया है । इसके लिए आवश्यक निधि भारत सरकार की बजट आबंटन से दी जाती है । कार्यान्वयन समापन रिपोर्ट तैयार करने हेतु विश्व बैंक को आवश्यक सहायताएं प्रदान की तथा मई 2001 में बोर्ड ने विश्व बैंक से रिपोर्ट प्राप्त की ।

परियोजना का वित्त समर्थन

परियोजना की अन्तिम लागत तालिका तैयार की गयी । विश्व बैंक से अंतिम प्रतिपूर्ति विवरण प्राप्त हुए । रबड़ बोर्ड को मंजूर 35.32 दशलक्ष अमरीकी डॉलर के ऋण में कुल प्रतिपूर्ति की गई रकम 34.03 दशलक्ष अमरीकी डॉलर की है जो 96.35% ऋण उपयोगिता का सूचक है । नबार्ड की रोपण एवं प्रसंस्करण हेतु पुनः वित्तीय सहाय की योजना हेतु मंजूर 20.08 दशलक्ष अमरीकी डॉलर के ऋण में प्रतिपूर्ति की गई रकम 14.28 दशलक्ष अमरीकी डॉलर की है जो 71.12% प्रतिशत उपयोगिता का द्योतक है । रुपयों में देखें तो परियोजना के लिए रबड़ बोर्ड को मंजूर कुल बजट आबंटन 2,253.36 दशलक्ष रुपयों में परियोजना के अंत तक कुल संचित व्यय 2,107.41 दशलक्ष रुपये रहा ।

xxxxxxx

भाग IV
प्रशासन

प्रशासन विभाग के निम्नलिखित अनुभाग/ प्रभाग/कार्यालय हैं ।

01 स्थापना (सामान्य प्रशासन, कार्मिक प्रशासन एवं हकदार)
02 विपणन
03 प्रचार एवं जन संपर्क
04 श्रमिक कल्याण
05 आन्तरिक लेखा परीक्षा
06 विधिक
07 सतर्कता
08 राजभाषा कार्यान्वयन

सामान्य प्रशासन

बोर्ड एवं उसकी समितियों का संगठन/पुनःसंगठन, बोर्ड एवं उसकी समितियों की बैठकें आयोजित करना, बोर्ड के निर्णयों के कार्यान्वयन मॉनीटर करना, गृह-व्यवस्था कार्यकलाप का प्रबंधन आदि सामान्य प्रशासन के मुख्य कार्यों में हैं ।

हकदार

इस अवधि के दौरान 51 कर्मचारियों को अपने भवनों के निर्माण के लिए 1,26,69,196/- रु. पेशगी के तौर पर वित्तीय सहायता दी गयी । 15 कर्मचारियों को दुपहिया वाहन अग्रिम के रूप में 4,39,100/- रु., दो कर्मचारियों को कार अग्रिम के तौर पर 2,80,775/- रु. तथा 20 कर्मचारियों को साइकिल अग्रिम के रूप में 30,000/- रु. दिए गए तथा दो पात्र व्यक्तियों को कंप्यूटर अग्रिम के रूप में 1,00,000/- रु. दिए गए । इसके अतिरिक्त विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारत रबड़ परियोजना के अधीन 17 कर्मचारियों को दुपहिया पेशगी के रूप में 5,82,270/- रु. दिए थे ।

कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं, छुट्टी खाते एवं वैयक्तिक फाइलों का सही रखरखाव किया गया । अधिवर्षिता पर 43 कर्मचारियों, स्वैच्छिक सेवनिवृत्ति पर 16 मामलों तथा अनिवार्य निवृत्ति पर एक को सेवानिवृत्ति लाभ दिए गए । छः अर्ह मामलों में कुटुंब पेंशन भी मंजूर किया गया।

कार्मिक प्रशासन

अनुमोदित भर्ती नियमों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों से संबंधित सांविधिक नियमों का पालन करते हुए बोर्ड के सुगम संचालन के लिये रिक्त पदों में योग्य व्यक्तियों की चुनाव सुनिश्चित की थी । भर्ती के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की चयन के लिए चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति का संगठन उपयुक्त तरीके से किया था। चुने हुए आरक्षित पदों के लिए चुने गए कर्मियों के संबंध में सामयिक विवरणियाँ सरकार को भेजी थीं ।

31.3.2001 को बोर्ड के अधीन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या 2280 थी, जिनका विवरण निम्न प्रकार है ।

क्र.सं.	विभाग का नाम	वर्ग क	वर्ग ख	वर्ग ग	वर्ग घ	योग
1.	रबड़ उत्पादन	81	348	748	129	1306
2.	अनुसंधान	65	130	233	48	476
3.	प्रशासन	26	50	62	21	159
4.	अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क	16	31	86	9	142
5.	प्रसंस्करण एवं उपज विकास	15	25	41	5	86
6.	वित्त एवं लेखे	6	9	26	2	43
7.	प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श	6	11	21	3	41
8.	सांख्यकी एवं योजना	5	7	14	1	27
	योग	**220**	**611**	**1231**	**218**	**2280**

विपणन

प्रभाग द्वारा किया गया मुख्य कार्य स्वाभाविक रबड़ के मूल्य का एकत्रण, संकलन एवं प्रसारण रहा । वर्ष के दौरान भी आर एस एस 4 एवं अवर्गीकृत शीट रबड़ के कोट्टयम व कोची बाजार के भाव दैनिक आधार पर एकत्रित तथा संकलित किए और प्रकाशनार्थ माध्यमों को सूचित किए तथा हर दिन वाणिज्य मंत्रालय, राज्य व्यापार निगम एवं अन्य अभिकरणों को रिपोर्ट किए । आइ एस एन आर 20 एवं 60 प्रतिशत सान्द्रीकृत लाटेक्स के भाव एकत्रित किए तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित किए । स्क्राप रबड़ का मूल्य भी एकत्रित करके सप्ताह में दो बार प्रकाशित किए। सभी वर्ग के शीट रबड़, ब्लॉक रबड़, पेल लाटेक्स क्रीप, एस्टेट ब्राउन क्रीप के साप्ताहिक भावों का एकत्रण, संकलन और प्रकाशन किया । कुलालंपुर बाज़ार में विभिन्न वर्ग के शीट रबड़ एवं सान्द्रीकृत लाटेक्स के दैनिक भावों का एकत्रण, संकलन और प्रकाशन भी प्रभाग ने किया ।

डायरेक्टरी ऑफ रबड़ गुड्स मानुफैक्चरर्स इन इंडिया

वर्ष के दौरान डायरेक्टरी ऑफ रबड़ गुड्स मानुफैक्चरर्स इन इंडिया के पंचम संस्करण की 595 प्रतियों की बिक्री की गयी/वितरण किया गया । राज्य व्यापार निगम द्वारा रबड़ प्रापण के चतुर्थ चरण में विभाग ने प्रापण एवं निर्मुक्ति को मॉनिटर किया ।

प्रचार एवं जनसंपर्क

रबड़ खेती के विविध पहलुओं पर पत्रिकाओं एवं प्रकाशनों का प्रस्तुतीकरण प्रभाग के मुख्य कार्यों में हैं ।

1. **रबड मासिक**

वर्ष के दौरान मासिक के 12 अंक प्रकाशित किए । परिचालन की स्थिति निम्न प्रकार है:

वार्षिक	:	9861
आजीवन	:	5839

2. **रबड़ स्टाटिस्टिकल न्यूज़**

रबड़ स्टाटिस्टिकल न्यूज़ के 12 अंक प्रकाशित किए ।

3. **प्रेस विज्ञप्ति**

प्रभाग से 51 प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी कीं ।

4. **विज्ञापन**

100 विज्ञापन (प्रदर्शन एवं वर्गीकृत विज्ञापन सहित) जारी किए ।

5. **आकाशवाणी**

प्रभाग के अधिकारियों द्वारा आकाशवाणी में पाँच भाषण रिकार्ड किए तथा जिनका प्रसारण किया गया ।

6. **संगोष्ठी एवं बैठकें**

बोर्ड, कंपनियों, रबड़ उत्पादक संघों, इन्टर मीडिया पब्लिसिटी कॉ ओर्डिनेशन समिति एवं आकाशवाणी से संबंधित 38 संगोष्ठियों, बैठकों एवं अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रभाग के अधिकारियों ने भाग लिया तथा भाषण दिया ।

7. **प्रदर्शनी**

प्रभाग ने दो प्रदर्शनियों में भाग लिया । एक कूनूर (उपासी) में तथा दूसरा तोडुपुषा (कार्षिकमेला) में ।

8. **आलेख**

प्रभाग के अधिकारियों ने विभिन्न दैनिकियों, कृषि मासिकों तथा "रबड़ मासिक" में 10 तकनीकी आलेख प्रकाशित किए ।

9. **इनसाइड रबड़ बोर्ड**

"इनसाइड रबड़ बोर्ड" के दो अंक प्रकाशित किए ।

10. **रबड़ बोर्ड बुलेटिन**

"रबड़ बोर्ड बुलेटिन" का एक अंक प्रकाशित किया ।

11. **रबड़ ग्रोवर्स कम्पानियन 2001**

"रबड़ ग्रोवर्स कम्पानियन 2001" की 9495 प्रतियों तथा "रबड़ एण्ड इट्स कल्टिवेशन" की 975 प्रतियों का मुद्रण एवं वितरण किया गया ।

श्रमिक कल्याण

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 8, उपधारा 2, खंड (च) के अनुसार "श्रमिकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएँ एवं शर्तें सुनिश्चित करना तथा सुख सुविधाओं व प्रोत्साहन में अभिवृद्धि लाना" बोर्ड के प्रमुख कार्यों में एक है । इसमें परिलक्षित कार्य रबड़ बागान उद्योग के विकास एवं उत्थान

के लिए एवं रबड़ बागान उद्योग के श्रमिकों, जो रबड़ खेती के विकास और उत्थान के अभिन्न अंग है, के बीच रुचि दिलाने व पैदा करने के लिए उपयुक्त उपाय हैं ।

बोर्ड ने उपर्युक्त कार्य विभिन्न कल्याण योजनाओं के द्वारा चलाया गया । वर्ष 2000-01 के आकलित बजट 121 लाख रुपये था जबकि वास्तविक व्यय 1,21,13,753/- रु. हुआ । चलायी गई योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार हैः हर योजना के अधीन वितरित रकम का विवरण तालिका I में दिया गया है ।

क. गैर प्लान योजनाएं

1. शैक्षिक वृत्तिका योजना

यह योजना रबड़ बागान श्रमिकों के बच्चों को कॉलेज व स्कूलों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

वृत्तिका में (1) शिक्षा शुल्क
(2) छात्रावास/आवास शुल्क
(3) पुस्तक, उपकरण आदि खरीदने के एकमुश्त अनुदान आदि सम्मिलित हैं ।

2. शैक्षिक छात्रवृत्ति योजना

यह योजना प्रशंसनीय रूप से परीक्षाएं उत्तीर्ण होनेवाले बच्चों के वर्ग के लिए है । छात्रवृत्ति की रकम 250 रु. से 2000 रु. तक है । बाद के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरक के रूप में यह दी जाती है ।

3. समूह बीमा-सह-जमा योजना

यह श्रमिकों को दुर्घटना द्वारा होनेवाली मृत्यु और घायल होने के विरुद्ध शुरू की गयी मुख्य सामाजिक सुरक्षा उपाय है । यह योजना श्रमिकों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करती भी है । यह योजना वर्ष 2000-01 में 11 वें चरण में पहूँच गयी है तथा प्रथम चरण वित्त वर्ष 1986-87 के दौरान प्रारंभ किया था ।

हर वार्षिक योजनाएं अपने में पृथक योजना है और 10 वर्षों की अवधि तक चालू रहेगी । योजना में नाम दर्ज किये श्रमिकों को निर्धारित रकम जमाकर हर वर्ष बीमा नवीकरण करना

चाहिए। समूह बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटना से हुई मौत एवं घायल होने की वजह से 48 श्रमिकों को 1,02,101/- रु. की रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप दी गयी ।

ख. प्लान योजनाएं

1. गृह निर्माण सहायिकी योजना (संगठित क्षेत्र)

यह योजना बागान श्रमिक अधिनियम 1951 के दायरे में आनेवाले श्रमिकों को अपनी भूमि में भवन निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु तैयार की है ।

उन्हें अधिकतम 7500/- रु. या आकलित निर्माण लागत के 25 प्रतिशत में जो भी कम हो वह रकम अनुदान के रूप में दी जाती है ।

2. गृह निर्माण सहायिकी योजना (असंगठित-गैर-सीमांत जोतें)

यह योजना बागान श्रमिक अधिनियम 1951 के दायरे में न आनेवाले जोतों के टापरों को जीवन की एक मूलभत आवश्यकता 'आश्रय' के अर्जन के लिए लक्षित है । इस योजना के अन्तर्गत लाभभोगी बनने के लिए आवेदक के काम करनेवाले एस्टेट 1.25 हे. से कम का न होना चाहिए । ऐसे टापर अगर योजना की विहित शर्तों के अनुसार अपने आप घर बनाते तो अधिकतम 7500 रु. या आकलित लागत के 25 प्रतिशत जो भी कम हो, की सहायिकी दी जाएगी । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कीचड की दीवार और घास छत से बनाए घर अधिकतम 4000 रु. की सहायिकी के लिए हकदार हैं । कीचड की दीवार और टीन या अलुमिनियम की छत वाले घरों के लिए अधिकतम 5000 रु. की सहायिकी दी जाएगी ।

3. गृह निर्माण सहायिकी योजना (असंगठित-सीमांत जोतें)

इस योजना के अधीन 0.75 हे. से 1.25 हे. क्षेत्र की छोटी जोतों में काम में लगे टापर्स सहायता के पात्र हैं । छोटी जोत क्षेत्र (गैर-सीमांत जोतें) के टापर्स की योजना की सभी शर्तें व विनिर्देश इस योजना के लिए भी लागू है ।

4. प्रसाधन सुविधा प्रदान करने की योजना

असंगठित क्षेत्र के रबड़ टापरों के बीच स्वच्छ परिस्थिति के प्रति रुचि पैदा करना इस योजना का लक्ष्य है । बोर्ड द्वारा निर्धारित नक्शा एवं अनुमान के अनुसार शौचालय निर्माण में टापरों को सहायता दी जाती है ।

निर्माण लागत के 75 प्रतिशत या 3000 रु. में जो भी कम हो उतनी तक वित्तीय सहायता सीमित की गई है ।

5. चिकित्सा सहायिकी योजना

यह योजना असंगठित क्षेत्र के रबड़ जोतों के टापरों के लिए लागू की । योजना द्वारा चिकित्सा हेतु रोगपीडित टापरों द्वारा खर्च किये व्यय की प्रतिपूर्ति एवं रोग के परिणामस्वरूप कार्य पर न जाने के लिए असमर्थ टापरों को उसकी क्षतिपूर्ति स्वरूप सहायिकी दी जाती है । छोटे परिवार प्रोत्साहित करने हेतु बंध्यंकरण ऑपरेशन करनेवाले श्रमिकों को भी सहायता दी जाती है ।

6. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडी जाति के लिए भवन निर्माण एवं सानिटरी योजना

यह योजना मात्र असंगठित रबड़ जोतों में काम करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडी जाति के टापरों के लिए हैं । इस योजना के अन्दर शौचालय सहित गृहनिर्माण के लिए 14,000 रु. तक की सहायिकी प्रति आवेदक दी जाती है । योजना हेतु निधि विशेष संघटक योजना/आदिवासी उप योजना से प्रदत्त की जाती है ।

सारणी - I

(क) गैर प्लान योजनाएं

योजना का नाम	प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या	वर्ष 2000-01 के दौरान के कुल लाभान्वित	कुल वितरित राशि (रु)	वर्ष 2000-01 हेतु बजट आबंटन
1) शैक्षिक वृत्तिका	10608	432	3370	6806	1614549	1620000
2) शैक्षिक छात्रवृत्ति	185	19	69	97	34750	30000
3) समूह बीमा-सह-जमा योजना (चरण III से IX तक)	8457	0	0	8457	845700 (बोर्ड का हिस्सा बीमा कंपनियों को जमा कर दिया गया)	850000

(ख) प्लान योजनाएँ

क्र. सं.	योजना का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या	कुल लाभान्वितों की संख्या	31.3.2001 तक वितरित रकम (रु.)	वर्ष 2000-01 हेतु बजट आंबटन (रु.)
1.	गृह निर्माण सहायिकी (संगठित)	468	68	264	136	1029000	1046000
2.	गृह निर्माण सहायिकी (असंगठित-सीमांत)	1561	75	1210	276	2072500	2000000
3.	गृह निर्माण सहायिकी (असंगठित - गैर सीमांत)	1236	192	785	259	1955000	2000000
4.	शौचालय सहायिकी	2774	267	1854	653	1966625	2000000
5.	चिकित्सा सहायिकी	698	41	199	458	573451	554000
6.	गृहनिर्माण व शौचालय सहायिकी (अनु.जा/ज.जा./अ.पि.व)	728	27	433	268	2022178	2000000

आन्तरिक लेखा परीक्षा

बोर्ड के विविध कार्यालयों/संस्थापनाओं का निरीक्षण/लेखा परीक्षा, पेंशन/सेवानिवृत्ति/आमेलन मामलों का सत्यापन, महालेखाकार, मंत्रालय के आन्तरिक लेखा-परीक्षा स्कंध से प्राप्त लेखा परीक्षा पूछताछों के उत्तर का अंतिम रूप देना/तैयार करना एवं अध्यक्ष के निदेशानुसार विशेष लेखा परीक्षा चलाना आदि आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभाग के मुख्य कार्य हैं ।

रिपोर्ट अवधि के दौरान देश भर फैले 69 कार्यालयों/संस्थापनाओं में आन्तरिक लेखा परीक्षा/निरीक्षण चलाये गये । वर्ष के दौरान अध्यक्ष के आदेशानुसार टी एस आर फैक्टरी की विशेष लेखा-परीक्षा चलायी गयी ।

वर्ष 1999-2000 के बोर्ड के लेखों की महालेखाकार, केरल द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित 52 खंडों के उत्तर तैयार किए गए । 31.3.2001 के अनुसार वर्ष 1999-2000 के 52 खंडों सहित लंबित लेखा परीक्षा खंडों की संख्या 67 है । वाणिज्य मंत्रालय के आन्तरिक लेखा परीक्षा स्कंध की निरीक्षण रिपोर्ट पर भी उत्तर प्रस्तुत किए गए तथा मंत्रालय की रिपोर्ट के उत्तर देने के लिए लंबित खंडों की संख्या नौ है ।

85 पेंशन मामलों तथा वेतन निर्धारण, छुट्टी संराशीकरण, सेवा मामले आदि विषयों पर 70 मामलों सहित 155 मामलों में सलाह दी थीं ।

भारत सरकार के आदेशों के अनुरूप अनुवर्ती कार्रवाईयों के द्वारा गाडियों के उपयोग एवं अनुरक्षण तथा ईंधन के उपभोग में मितव्ययता सुनिश्चित की जा सकी ।

संबंधित कार्यालयों/इकाइयों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करके स्टॉक के वार्षिक वास्तविक सत्यापन अद्यतन कर दिया गया तथा मरम्मत के अयोग्य सामग्रियों को बेचना सुनिश्चित कर दिया।

विधिक

बोर्ड के विभिन्न विभागों/अनुभागों/प्रभागों को सलाह/राय देना, कानूनी दस्तावेजों का प्रारूप तैयार करना, रबड़ अधिनियम 1947 के अधीन कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करना, श्रमिक मामलों, कर मामलों में समझौता करने हेतु विभागों की सहायता करना तथा बोर्ड के मुकदमे चलाने हेतु बोर्ड के अधिवक्ताओं को अनुदेश देना तथा सहायता प्रदान करना आदि विधिक अनुभाग के कार्य हैं ।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान विधिक अनुभाग के ध्यान आकर्षित 878 फाइलों में समय ही पर कार्रवाई की/सलाह दी । गृह निर्माण अग्रिमों के 52 आवेदनों में नियमानुसार आवेदनों की पात्रता निर्धारित करने हेतु दस्तावेज़ों की छानबीन की । रिपोर्ट वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा निष्पादित करने के कानूनी दस्तावेज़ों का आवश्यक समय पर प्रारूपण किया/तैयार किया गया । विविध अदालतों में बोर्ड के विरुद्ध लंबित मामलों तथा वर्ष के दौरान दायर 40 नये मामलों में बोर्ड के हितों की रक्षा करने के लिए वकीलों द्वारा उचित कदम उठाया गया । उच्च न्यायालय में लंबित मामलों पर स्थायी काउंसेल एवं केन्द्र सरकार वकीलों को खंडवार टिप्पणी एवं आवश्यक अनुदेश दिए थे । विभिन्न जिलों के क्षतिपूर्ति फोरम के सामने आये उपभोक्ता विवाद संबंधी फाइलों पर अनुभाग ने उत्तर तैयार किये और फाइल किये तथा सुनवाई के समय बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया ।

सतर्कता

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सतर्कता प्रभाग ने क एवं ख वर्ग के 16 अधिकारियों तथा ग एवं घ वर्ग के 18 कर्मचारियों के खिलाफ आरोपों के आधार पर कुल 34 शिकायतों पर पूछताछ/जांच की । सामान्य रूप से ये आरोप आदर्श टी एस आर फैक्टरी के बिजलीकरण में अनियमितताएं, बोर्ड के सिविल निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण/निरीक्षण न करना, आचार नियमों के उपबंधों को पूर्णतया ठुकराते हुए द्विविवाह करना, बोर्ड के निदेशों का उत्तर न देना/पालन न करना तथा अप्राधिकृत अनुपस्थिति द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा करना, लोगों के सामने उच्चतर अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करना तथा आचार नियमों के उपबंधों के उल्लंघन करते हुए अपमानजनक एवं अश्लील भाषा बोलना, नियंत्रक अधिकारियों/ बोर्ड की अनुमति/जानकारी के बिना सरकारी दौरे पर जाना, वैयक्तिक लाभ हेतु सरकारी स्थान का दुरुपयोग करना आदि रहे । इन शिकायतों पर आवश्यक उचित तरीके की जांच की थी और जहाँ आवश्यक समझा वहाँ गलत करनेवाले बोर्ड कर्मचारियों के विरुद्ध उच्रित कार्रवाई की ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 10 पदधारियों के विरुद्ध कठिन दण्ड कार्रवाई तथा 2 पदधारियों के विरुद्ध हल्की दण्ड कार्रवाई ली गयी ।

क एवं ख वर्ग स्तर के सभी अधिकारियों से 31.12.2000 के अनुसार अचल संपत्ति की वार्षिक विवरणी मांगी गयी थी । इस तरह अधिकारियों से प्राप्त विवरणियों पर उचित कार्रवाई की। सतर्कता प्रभाग अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित 110 आवेदनों तथा चल संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित 92 आवेदनों पर कार्रवाई की ।

प्रभाग ने बोर्ड के कर्मचारियों से प्राप्त 4 पुनर्विचार प्रार्थनाओं पर आवश्यक कार्रवाई की तथा आगे की उचित कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक खंडवार टिप्पणियों एवं अन्य संबंधित कागज़ातों/दस्तावेजों के साथ उन्हें भेज दिया ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार 31.10.2000 से 4.11.2000 तक की अवधि में बोर्ड के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रतिज्ञा लेकर, कार्यालय परिसर में और आसपास पोस्टर एवं बैनर लगाकर, बोर्ड के कर्मचारियों की बैठक एवं उनके लिए भाषण प्रतियोगिता चलाकर, विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र वितरित करके और सतर्कता विषय पर लेखों एवं विशिष्ठ व्यक्तियों से सन्देशों के साथ पत्रिका प्रकाशित करके "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाया गया ।

राजभाषा कार्यान्वयन

रबड़ बोर्ड राजभाषा नियम के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय है ।

वर्ष के दौरान रबड़ बोर्ड के हिन्दी अनुभाग ने निम्न लिखित कार्यकलाप किए ।

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति

बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकें वर्ष के दौरान आयोजित की, एक 25 अक्तूबर 2001 को तथा दूसरी 21 मार्च 2001 को । 2001-02 वर्ष के वार्षिक कार्यक्रमों पर चर्चा की तथा जिसका अनुमोदन बैठक में किया गया ।

2. <u>हिन्दी सप्ताह/हिन्दी दिवस समारोह</u>

14 सितंबर 2000 से 20 सितंबर 2000 तक बोर्ड के मुख्यालय एवं भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान में हिन्दी सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया । बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की । बडी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया । विजेताओं को पुरस्कार दिए गए ।

बोर्ड के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी दिवस मनाया गया । कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र दिए गए। उन कार्यक्रमों में अलग अलग विशेष व्यक्ति उपस्थित रहे ।

3. <u>राजभाषा सम्मेलन</u>

रबड़ बोर्ड के भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान, कोट्टयम-9 के सिलवर जूबिली हॉल में 27 मार्च 2001 को राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया । सम्मेलन का उद्घाटन मलयालम के जाने माने फिल्म निर्देशक एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लेखक श्री एम.टी.वासुदेवन नायर ने किया । सम्मेलन में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य डॉ.सी.पी.राजगोपालन नायर भी उपस्थित रहे । हिन्दी सप्ताह समारोह के सिलसिले में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कारों तथा कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के प्रयोग करनेवाले पदधारियें को नकद पुरस्कार का वितरण इस अवसर पर किया गया । राजभाषा की सुवर्णजयन्ती वर्ष की यादगार स्वरूप सम्मेलन में बोर्ड की द्विमासिक पत्रिका "रबड़ समाचार" के विशेषांक का विमोचन किया गया तथा यह पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित करती आ रही है ।

हिन्दी शिक्षण योजना के हिस्से के रूप में बोर्ड के मुख्यालय में हिन्दी प्राज्ञ एवं टंकण कक्षाएं चलायी गयीं । कक्षाओं में 26 अधिकारी/कर्मचारी भाग लिए ।

पाला, कोतमंगलम, तोडुपुषा, तृश्शूर, ईराटुपेट्टा, एरणाकुलम, मैंगलूर, मंजेरी, कांजंगाडु, तलिपरम्बा, श्रीकण्ठापुरम, कोषिक्कोड, निलंबूर, कोट्टयम, पालक्काडु, मण्णार्काड एवं तलश्शेरी के प्रादेशिक कार्यालयों, कोची के अनुज्ञप्ति प्रभाग तथा केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन, चेत्तक्कल में हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित कीं । कुल 439 अधिकारियों/कर्मचारियों को इन कार्यशलाओं में राजभाषा में प्रशिक्षण दिये गए।

मुख्यालय एवं भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान में द्विदिवसीय हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें कुल 57 कर्मचारी भाग लिए ।

वाणिज्य विभाग एवं पूर्ति विभाग की हिन्दी सलाहकार समितियों की संयुक्त बैठक 15 मार्च 2001 को नई दिल्ली में आयोजित की । बोर्ड के अधिकारी इस बैठक में भाग लिए ।

4. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

कोट्टयम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दूसरी बैठक 16 अक्तूबर 2000 को रबड़ बोर्ड के सम्मेलन भवन में आयोजित की ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में सदस्य संगठनों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए बोर्ड के मुख्यालय में द्विदिवसीय हिन्दी कार्यशाला आयोजित की ।

XXXXXXX

भाग - V
रबड़ अनुसंधान

कोट्टयम में मुख्यालय के साथ भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान (आर आर आई आई) की संस्थापना वर्ष 1995 में हुई । इसका मुख्य अनुसंधान प्रक्षेत्र 250 हे. में केरल राज्य के पत्तनमतिट्टा जिला के रान्नी में स्थित है । संस्थान के 13 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन हैं जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिज़ोरम में फैले हुए हैं । उत्तर पूर्व के पाँच क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन मिलकर उत्तर पूर्वी अनुसंधान परिसर बनता है जिसका मुख्यालय अगर्तला में है। संस्थान में 133 वैज्ञानिक हैं तथा 339 समर्थक कर्मचारी । रबड़ प्रसंस्करण प्रोद्योगिकी, पौधा प्रजनन, जननद्रव्य, जैव प्रौद्योगिकी, शोषण, सस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, आर्थिकी एवं सस्य शरीरक्रिया विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य जारी रखे ।

वर्ष के दौरान संस्थान की मुख्य उपलब्धियाँ स्टेरीन रोपित स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन हेतु उसकी प्रौद्योगिकी का सुधार करना, सबसे लोकप्रिय उच्च उत्पादन देने वाले क्लोन आर आर आई आई 105 से भी अधिक उत्पादन देनेवाले संस्थान द्वारा विकसित 5 नये क्लोन का पेश करना तथा उत्पादन लागत कम करने हेतु कम आवृत्ति के टापिंग का मानकीकरण रहीं ।

विश्व बैंक से सहायताप्राप्त रबड़ परियोजना के अनुसंधान संघटक सितंबर 2000 में समाप्त हुआ । दीर्घावधि की परियोजनाएं/परीक्षण जारी हैं । कार्यान्वयन समापन रिपोर्ट एवं विस्तृत अंतिम तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी । केरल तथा तमिलनाडु संसाधनयुक्त मृदा सर्वेक्षण एवं रबड़ खेतीवाले इलाकों के नक्शा बनाने की परियोजना परामर्शदाता आई सी ए आर द्वारा पूरी की गयी । परामर्शदाता से विस्तृत रिपोर्ट एवं नक्शाएं (400 प्रतियाँ) प्राप्त हुई । 'रबड़ परिस्थिति तंत्र पर ताम्र कवकनाशियों के प्रभाव' पर अध्ययन पारमर्शक परियोजना केरल कृषि विश्व विद्यालय ने पूरी की । अध्ययन की अनुशंसाओं के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है ।

इस अवधि के दौरान के 21 अध्ययनों में रबड़ रसायन, भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी (आर सी पी टी) प्रभाग सम्मिलित थे । छः नये परीक्षण शुरू किए गए तथा तीन परीक्षण समाप्त हुए । प्रभाग ने स्टेरीन रोपित स्वाभाविक रबड़ (एस जी एन आर) के उत्पादन हेतु तकनीकी समर्थन दिया । प्रयोगशाला स्तर पर पोली (स्टेरीन अक्रिलो नाइट्राइल) रोपित -स्वाभाविक रबड़ की तैयारी सफल रही । निम्न गुणवत्ता के रबड़ शीटों की गुणता सुधार हेतु अर्धस्वचालित मशीन का संविरचन किया गया । स्वाभाविक रबड़, पॉलिप्रोपलीन एवं पॉली एथलीन से एक थर्मोप्लास्टिक स्वाभाविक रबड़ संरूप की तैयारी की । उत्पादों में मूल्यांकन हेतु मे. ओस्वाल इन्टर्नाशनल को सामग्री भेज दी है । रबड़ मिश्रों में उच्चतर अपघर्षण प्रतिरोध एवं विद्युत प्रतिरोध देने के लिए पूरक के रूप में नारियल खोपडी चूर्ण की पहचान की गयी है । रोड रबरीकरण में प्रयुक्त लाटेक्स में प्रतिऑक्सीकारकों के प्रभाव पर अध्ययन शुरू किया गया है । कच्चे रबड़ की विशेषताओं तथा रबड़ शीटों की गुणवत्ता स्थिति पर भण्डारण के प्रतिघात पर एक अन्य अध्ययन विभिन्न रबड़ खेती वाले इलाकों में शुरू किया गया है।

वनस्पति विज्ञान प्रभाग ने आनुवंशिक सुधार पर करीब 120 परीक्षण जारी रखे । अधिक रबड़ एवं लकडी के उत्पादन देनेवाले क्लोनों को विकसित करना परीक्षणों का मुख्य लक्ष्य है । संकर क्लोनों, ऑरटेट क्लोनों तथा पेश किये गए क्लोनों में उपज एवं गौण विशेषताओं पर मॉनिटरिंग कार्य जारी रखे । रोपण सामग्रियों, प्रजनन तकनीकों, छाल व लकडी के शरीर एवं कोशिका जनन विज्ञान पर अनुसंधान जारी रखे । अनुशंसित रोपण सामग्रियों की श्रेणी III में पाँच नये क्लोनों को जोड दिया है । ये हैं - आर आर आई आई 414, आर आर आई आई 417, आर आर आई आई 422, आर आर आई आई 429 व आर आर आई आई 430 । ये क्लोन सबसे लोकप्रिय क्लोन आर आर आई आई 105 से 18-50% अधिक उत्पादन देते हैं । आर आर आई आई एवं विभिन्न अन्य स्रोतों के परीक्षणों से एकत्रित आंकडों के आधार पर क्लोन पी बी 260 का (स्थान)रोपण सामग्रियों की अनुशंसित सूची की श्रेणी III से चढाकर श्रेणी I कर दिया है । तमिलनाडु के कुलशेखरम क्षेत्र में बहुक्लोनीय बीज बागान हेतु रोपण किया गया । शारीर अध्ययन से पता चला कि अधिक उपज के मौसम में छाल में स्टार्च एवं काल्सियम ऑक्सलेट क्रिस्टल की अधिक मात्रा होती है । रोपण के लिए अनुशंसित सभी क्लोनों के बारे में मूल जानकारी हेतु एक सूची तैयार की है । गैरपारंपरिक क्षेत्रों में आर आर आई एम 600 क्लोन की बडे पैमाने पर अनुकूल बनने की क्षमता की पुष्टि की है ।

भाग - V
रबड़ अनुसंधान

कोट्टयम में मुख्यालय के साथ भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान (आर आर आई आई) की संस्थापना वर्ष 1995 में हुई । इसका मुख्य अनुसंधान प्रक्षेत्र 250 हे. में केरल राज्य के पत्तनमतिट्टा जिला के रान्नी में स्थित है । संस्थान के 13 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन हैं जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिज़ोरम में फैले हुए हैं । उत्तर पूर्व के पाँच क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन मिलकर उत्तर पूर्वी अनुसंधान परिसर बनता है जिसका मुख्यालय अगर्तला में है। संस्थान में 133 वैज्ञानिक हैं तथा 339 समर्थक कर्मचारी । रबड़ प्रसंस्करण प्रोद्योगिकी, पौधा प्रजनन, जननद्रव्य, जैव प्रौद्योगिकी, शोषण, सस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, आर्थिकी एवं सस्य शरीरक्रिया विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य जारी रखे ।

वर्ष के दौरान संस्थान की मुख्य उपलब्धियाँ स्टेरीन रोपित स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन हेतु उसकी प्रौद्योगिकी का सुधार करना, सबसे लोकप्रिय उच्च उत्पादन देने वाले क्लोन आर आर आई आई 105 से भी अधिक उत्पादन देनेवाले संस्थान द्वारा विकसित 5 नये क्लोन का पेश करना तथा उत्पादन लागत कम करने हेतु कम आवृत्ति के टापिंग का मानकीकरण रहीं ।

विश्व बैंक से सहायताप्राप्त रबड़ परियोजना के अनुसंधान संघटक सितंबर 2000 में समाप्त हुआ । दीर्घावधि की परियोजनाएं/परीक्षण जारी हैं । कार्यान्वयन समापन रिपोर्ट एवं विस्तृत अंतिम तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी । केरल तथा तमिलनाडु संसाधनयुक्त मृदा सर्वेक्षण एवं रबड़ खेतीवाले इलाकों के नक्शा बनाने की परियोजना परामर्शदाता आई सी ए आर द्वारा पूरी की गयी । परामर्शदाता से विस्तृत रिपोर्ट एवं नक्शाएं (400 प्रतियाँ) प्राप्त हुई । 'रबड़ परिस्थिति तंत्र पर ताम्र कवकनाशियों के प्रभाव' पर अध्ययन पारमर्शक परियोजना केरल कृषि विश्व विद्यालय ने पूरी की । अध्ययन की अनुशंसाओं के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है ।

इस अवधि के दौरान के 21 अध्ययनों में रबड़ रसायन, भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी (आर सी पी टी) प्रभाग सम्मिलित थे । छः नये परीक्षण शुरू किए गए तथा तीन परीक्षण समाप्त हुए । प्रभाग ने स्टेरीन रोपित स्वाभाविक रबड़ (एस जी एन आर) के उत्पादन हेतु तकनीकी समर्थन दिया । प्रयोगशाला स्तर पर पोली (स्टेरीन अक्रिलो नाइट्राइल) रोपित -स्वाभाविक रबड़ की तैयारी सफल रही । निम्न गुणवत्ता के रबड़ शीटों की गुणता सुधार हेतु अर्धस्वचालित मशीन का संविरचन किया गया । स्वाभाविक रबड़, पॉलिप्रोपलीन एवं पॉली एथलीन से एक थर्मोप्लास्टिक स्वाभाविक रबड़ संरूप की तैयारी की । उत्पादों में मूल्यांकन हेतु मे. ओस्वाल इन्टर्नाशनल को सामग्री भेज दी है । रबड़ मिश्रों में उच्चतर अपघर्षण प्रतिरोध एवं विद्युत प्रतिरोध देने के लिए पूरक के रूप में नारियल खोपडी चूर्ण की पहचान की गयी है । रोड रबरीकरण में प्रयुक्त लाटेक्स में प्रतिऑक्सीकारकों के प्रभाव पर अध्ययन शुरू किया गया है । कच्चे रबड़ की विशेषताओं तथा रबड़ शीटों की गुणवत्ता स्थिति पर भण्डारण के प्रतिघात पर एक अन्य अध्ययन विभिन्न रबड़ खेती वाले इलाकों में शुरू किया गया है।

वनस्पति विज्ञान प्रभाग ने आनुवंशिक सुधार पर करीब 120 परीक्षण जारी रखे । अधिक रबड़ एवं लकडी के उत्पादन देनेवाले क्लोनों को विकसित करना परीक्षणों का मुख्य लक्ष्य है । संकर क्लोनों, ऑरटेट क्लोनों तथा पेश किये गए क्लोनों में उपज एवं गौण विशेषताओं पर मॉनिटरिंग कार्य जारी रखे । रोपण सामग्रियों, प्रजनन तकनीकों, छाल व लकडी के शरीर एवं कोशिका जनन विज्ञान पर अनुसंधान जारी रखे । अनुशंसित रोपण सामग्रियों की श्रेणी III में पाँच नये क्लोनों को जोड दिया है । ये हैं - आर आर आई आई 414, आर आर आई आई 417, आर आर आई आई 422, आर आर आई आई 429 व आर आर आई आई 430 । ये क्लोन सबसे लोकप्रिय क्लोन आर आर आई आई 105 से 18-50% अधिक उत्पादन देते हैं । आर आर आई आई एवं विभिन्न अन्य स्रोतों के परीक्षणों से एकत्रित आंकडों के आधार पर क्लोन पी बी 260 का (स्थान)रोपण सामग्रियों की अनुशंसित सूची की श्रेणी III से चढाकर श्रेणी I कर दिया है । तमिलनाडु के कुलशेखरम क्षेत्र में बहुक्लोनीय बीज बागान हेतु रोपण किया गया । शारीर अध्ययन से पता चला कि अधिक उपज के मौसम में छाल में स्टार्च एवं काल्सियम ऑक्सलेट क्रिस्टल की अधिक मात्रा होती है । रोपण के लिए अनुशंसित सभी क्लोनों के बारे में मूल जानकारी हेतु एक सूची तैयार की है । गैरपारंपरिक क्षेत्रों में आर आर आई एम 600 क्लोन की बडे पैमाने पर अनुकूल बनने की क्षमता की पुष्टि की है ।

जननद्रव्य प्रभाग ने 4426 ब्राज़ीलियन जाति एवं 177 घरेलू रूप से बनाए क्लोनों के परिरक्षण एवं प्रलेखन कार्य जारी रखा । अनुवृद्धियों के अभिलक्षणन एवं मूल्यांकन तथा, जैव एवं अजैव प्रतिबल की छानबीन जारी रखा । लकडी के अभिलक्षणन पर भी निरीक्षण जारी रखा । अणु प्रणालियों द्वारा अभिलक्षणन शुरू किया गया । एक ब्राज़ीलियन अनुवृद्धि ने लोकप्रिय क्लोन आर आर आई आई 105 से दुगुनी टेस्ट टैप उपज दी । 80 अनुवृद्धियों में आनुवंशिकीय अपसरण से 8 ग्रूपों के उपस्थित होने का पता चला है । चूर्णिल आसिता एवं फाइटोफ्तोरा रोगों के विरुद्ध रोग रोधिता के निरीक्षण में विभिन्न स्तर की रोग रोधिता स्तर देखे गए । सर्दी रोधिता के निरीक्षण हेतु पश्चिम बंगाल में नागरकट्टा अनुसंधान स्टेशन में 71 अनुवृद्धियों का रोपण किया ।

जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग के 26 चालू परीक्षण थे । कायिक भ्रूणोद्भव द्वारा ऊतक संवर्धित पौधों को उत्पादित करने की परियोजना विकसित की तथा 500 पौदों का उत्पादन किया । इनमें 250 मृदा भरे पॉली बैगों में बढाये जा रहे हैं । सूपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस के जीन कोड से एकीकृत ट्रान्सजेनिक पौधे और कठोर हो गए तथा मृदा से भरे पॉली बैगों में रोपे गए । अन्य प्रमुख किण्वकों के साथ ट्रान्सजेनिक ऊतक को परिपक्व भ्रूणों से अलग किया जा सकता है । अणु अध्ययन ने दिखाया कि छाल सूखापन की रोधिता के संबद्ध आर ए पी डी मार्कर स्वस्थ पेडों के छाल के मेसेंजर आर एन ए से संकरित रूप में अलग किया था । असाधारण पत्ता झडन रोग के आर ए पी डी मार्कर की पहचान की गयी है । रबड़ दीर्घीकरण घटक तथा जीन किटिनेस हेतु जीनोम डी एन ए अनुक्रम को अलग किया ।

जीनोम प्रयोगशाला द्वारा अणु प्रणाली प्रयुक्त करके ब्रज़ीलियन अनुवृद्धियों पर चलाये गए आनुवंशिकीय विविधता अध्ययन ने अच्छे परिणाम दिए हैं । *फाइटोफ्तोरा* पत्ता सडन रोग के प्रति रोग रोधिता हेतु आर ए पी डी मार्कर्स विकसित करने में अच्छी प्रगति हासिल की है । आर ए पी डी परिच्छेदिका अध्ययन से *कोरिनस्पोरा* रोग जनक के दस विभिन्न जीनरूप एवं *कोलेटोट्राइकम* की दो जातियों के विद्यमान होने का पता चला ।

रोपण अध्ययन (फसल लेना) के अधीन 30 चालू परीक्षण थे । गैर पारंपरिक क्षेत्रों में आठ नये परीक्षण भी शुरू किए गए । विस्तृत परीक्षणों के परिणामों के आधार पर विभिन्न क्लोनों पर कम आवृत्ति टापिंग प्रणाली की अनुशंसा देने हेतु उद्दीपन (हॉर्मोन प्रयोग) तालिकाएं तैयार की है । कम

आवृत्ति टापिंग से स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन की लागत में काफी कटौती होती है । अन्य राष्ट्रों के जैसा सफलता पूर्वक साप्ताहिक टापिंग तक के प्रयोग करने हेतु आवश्यक उपयुक्त विधियाँ विकसित की है । तीन दिन में (डी/3), चार दिन में (डी/4), तथा सात दिन में (डी/7) एक बार टापिंग हेतु उद्दीपन सारणियाँ खोज निकाली है । 95% से अधिक जोतों में टापिंग हर दिन या दो दिन में एक बार किये जाते हैं । कम आवृत्ति टापिंग प्रत्यक्ष बचत के अलावा पेडों के आर्थिक जीवन काफी बढाकर अप्रत्यक्ष रूप से भी उत्पादन लागत में कमी लाता है । मिनी काट पर चलाए परीक्षण के परिणाम भी उत्पादन लागत और कम करने में आशाजनक रहे । इन परीक्षण के परिणामों पर विवरण देनेवाले आलेख को हैदराबाद में संपन्न 14 वीं बागवानी फसल सिंपोसियम में मौखिक प्रस्तुति का द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ । एत्तिफॉन के पानल प्रयोग हेतु सिफारिश भी तैयार की है ताकि उद्दीपन हेतु रसायन की आवश्यकता में 50 प्रतिशत की कमी है । लाटेक्स निदान अध्ययन जारी रखा । 5 चालू परीक्षण एवं 3 नये परीक्षण चल रहे हैं ।

सस्य विज्ञान एवं मृदा प्रभाग में 60 से अधिक परीक्षण जारी रखे । अनुसंधान के क्षेत्र में अन्तरासस्यन एवं फसल प्रणाली, अपतृण प्रबंधन, रोपण घनता तथा मृदा व जल संरक्षण सम्मिलित हैं । विविक्तकर खाद्य प्रयोग की अनुशंसा पर सीमांत कृषकों तथा बागानों को सलाह देने का कार्य प्रभाग ने जारी रखा तथा वर्ष के दौरान ऐसी 4100 अनुशंसाएं जारी की । इसके लिए करीब 8000 मृदा नमूने एवं 700 पत्ता नमूनों का विश्लेषण मुख्यालय एवं विभिन्न क्षेत्रीय मृदा एवं पत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं में किया गया । मृदा एवं पत्ता विश्लेषणों के सिवाय इन प्रयोगशालाओं ने कृषकों/संस्थाओं द्वारा लाए 15571 लाटेक्स नमूनों में शुष्क रबड़ संघटक (डी आर सी) का आकलन भी किया । अध्ययन से पता चलता है कि अन्तरा कृषि से रबड़ की वृद्धि पर बुरा प्रभाव नहीं होता है । पारिस्थितिक अध्ययन यह दिखाता है कि 5 टण/हे./वर्ष (शुष्क वज़न) विक्षिप्त गिर जाता है जिससे 88 कि.ग्रा. नेत्रजन, 24 कि.ग्रा. फॉस्फोरस एवं 45 कि ग्रा पोटैशियम मृदा में मिल जाते है । आवयस्क चरण में प्यूरेरिया एवं म्यूकुना के आच्छादन फसलों से प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर क्रमशः 5.5 एवं 7.6 शुष्क सामग्री प्राप्त हो जाती है । क्रमवत् स्थायी नेत्रजन की देन 174 तथा 226 कि.ग्रा./हे./वर्ष नेत्रजन है ।

पादप रोग विज्ञान प्रभाग में इस अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 56 परीक्षण जारी रखे । दक्षिण कर्नाटक एवं उत्तर केरल में कोरिनेस्पोरा रोग के प्रकोप में कमी आयी । छिडकाव तेल के आंशिक तौर पर प्रतिस्थानी के रूप में रबड़ बीज तेल उपयोगी देखा गया । इससे छिडकाव लागत में कमी की जा सकती है । कन्याकुमारी जिला में चूर्णिल आसिता (पाउडरी मिलड्यू) रोग के नियंत्रण हेतु 2% हेक्साकोनासोल धूल गंधक धूल से अधिक प्रभावी पाया गया । वर्षा रक्षकों पर झींगुर के आक्रमण उपयोग किए गए इंजन ऑयल, काजू छिल्का तेल या सरसों तेल के प्रयोग से

प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है । रबड़ शीट शुष्कण के लिए आवश्यक ईंधन के 25% रबड़ प्रसंस्करण बहिःस्राव को प्रयुक्त करके उत्पादित जैव गैस कम करता है ।

पादप शारीर प्रभाग ने 12 परियोजनाओं के अधीन विभिन्न परीक्षण चलाए । इन अध्ययनों से संभाव्य सूखा रोधिता में कार्य करनेवाले मार्करों की पहचान की ओर इशारा मिला। यह पता चला कि सयण पर मूल स्टॉक के असर का कारण दोनों के बीच का आनुवंशिक अन्तर हो सकता है ।

इस अवधि के दौरान आर्थिक अनुसंधान प्रभाग ने 20 परियोजनाएं कार्यान्वित की । छः परियोजनाएं पूरी की तथा चार परियोजनाओं का प्रारंभ किया । रबड़ आधारित औद्योगीकरण एवं मुख्य स्वाभाविक रबड़ उत्पादक राष्ट्रों द्वारा उत्पाद निर्यात पर चलाए अध्ययन से पता चलता है कि प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात से मूल्य वर्धित वस्तुओं के निर्यात की ओर प्रगति हो रही है । स्वाभाविक रबड़ उत्पादक राष्ट्रों द्वारा रबड़ उत्पादों की निर्यात का हिस्सा वर्ष 1980 के 2.6 प्रतिशत से बढकर 1996 में 38.3 प्रतिशत हो गया । मूल्य स्थिरता पर चलाए एक अध्ययन से पता चला कि भारत में क्षेत्र विस्तार संस्थागत एवं अनुसंधान व विकास समर्थन, विस्तार कार्यक्रम एवं संरक्षित मूल्य व्यवस्था के कारण रहा ।

इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, अगर्तला में 25 परीक्षण चलाए गए । अन्तरासस्यन परीक्षण के परिणामों से पता चलता है कि रबड़ खेती के प्रारंभिक वर्षों में केला एवं आनान्नस की खेती लाभकारी रूप से की जा सकती है । एक क्लोन परीक्षण के आंकडों से यह व्यक्त हो गया कि अधिकतम उपज देनेवाला क्लोन पी बी 235 है । पारंपरिक क्षेत्र की आवश्यकता से भी अधिक मात्रा में खाद के प्रयोग से (60: 60: 40 एन पी के प्रति/हेक्टेयर) पेडों की वृद्धि एवं फसल काफी बढ गयी । पारिस्थितिक अध्ययन से देखा गया कि ऊज़र मृदा से रबड़ के अधीन क्षेत्र के मृदा में अधिक जैव सामग्रियाँ निहित है । पौधशाला में 630 से ऊपर संकर पौद लगाए । बहुसंकर संततियों से 10 जीनरूपों का चयन किया गया । अपक्व भ्रूण संवर्धन से बहुप्ररोहों का उत्पादन हुआ । नये तीन शोषण अध्ययन शुरू किए गए ।

क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, मेघालय में 10 परीक्षण चलाए । क्लोन परीक्षणों से पता चला कि आर आर आई एम 600, आर आर आई एम 118, आर आर आई आई 105 तथा पी बी 235 बेहतर है । क्लोनिंग एवं मूल्यांकन हेतु 30 वर्ष आयु के बीज पौधा बागान से चौदह मातृवक्षों का चयन किया गया । चूर्णिल आसिता के कठोर रूप में प्रकोप की रिपोर्ट मिली है ।

क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, गुआहटी के 22 चालू परीक्षण हैं । एक क्लोन परीक्षण के परिणाम में आर आर आई एम 600 के बेहतर प्रदर्शन देखा गया और जिसके बाद आता है आर आर आई आई 203 और आर आर आई आई 118/क्लोन पी बी 311 का भी प्रदर्शन अच्छा रहा । 10 बहुक्लोनीय पौधों के शुष्क रबड़ उत्पादन चयन हेतु आशाजनक देखा गया । 40:20:20 कि.ग्रा/हे. एन पी के खाद मात्रा सर्वोत्तम पायी गयी । 10 दिनों के अन्तराल पर तीन बार गंधक धूल के प्रयोग से चूर्णिल आसित के भयंकर प्रकोप को नियंत्रित किया जा सका है । क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, नागरकट्टा, पश्चिमबंगाल में 13 चालू परीक्षण थे । आंकडों से पता चला कि क्लोन एस सी ए टी सी 85/13, एस सी ए टी सी 93/114, पी बी 235 तथा आर आर आई आई 208 का उत्पादन बेहतर है । नये शोषण परीक्षण भी शुरू किए गए ।

क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, दपचारी, महाराष्ट्र में वर्षा एवं सिंचित स्थितियों में आर आर आई आई 105 एवं आर आर आई एम 600 के क्लोनों का उत्पादन प्रदर्शन अच्छा रहा । इस अवधि के दौरान 3 शोषण अध्ययन शुरू किए गए । इस स्टेशन में 10 चालू अनुसंधान परियोजनाएं हैं । क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन उड़ीसा के भी सभी परीक्षण अच्छी तरह प्रगति की । क्लोन आर आर आई एम 600 से सबसे अधिक उपज प्राप्त हुई और जिसके पीछे है आर आर आई आई 105 ।

क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, सुकमा, छत्तीसगढ़ राज्य में सात चालू अनुसंधान परियोजनाएं हैं । यहाँ के पेड टापिंग के लिए तैयार नहीं हुए । क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, पडियूर, कण्णूर (जिला) केरल में 9 चालू अनुसंधान परियोजनाएं हैं । इस अवधि के दौरान 14 हेक्टरों में परीक्षण के तौर पर रोपण किए । पौधशाला सिंचाई पर परीक्षण की अच्छी प्रगति हुई तथा आवश्यक सिंचाई का आकलन किया जा सका । अधिक ऊँचाई से किए ओर्टेट चयन से चूर्णिल आसिता के प्रति रोग रोधी क्षमता देखी गयी ।

केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन, क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशनों तथा प्रजनन स्टेशनों में उपलब्ध भूमि का उपयोग विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के अधीन परीक्षण हेतु पूर्ण रूप से प्रयुक्त किए ।

वर्ष 2000 की वार्षिक पुनरीक्षा बैठकें दो सत्रों में जून एवं अन्य एक अगस्त 2000 में चालू अनुसंधान परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु आयोजित की । सभी वैज्ञानिकों एवं प्रभाग/अनुभाग प्रमुखों ने जारी अनुसंधान परियोजनाओं एवं परीक्षणों के संबंध में वार्षिक पुनरीक्षा बैठक में प्रस्तुत की जिसमें हर विषय पर दो बाहरी विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहे । वार्षिक पुनरीक्षा बैठक में हुई विचार-विमर्श के आधार पर अनुसंधान कार्यक्रमों का पुनरनुकूलन किया गया ।

संस्थान ने 14 आन्तरिक संगोष्ठियां आयोजित कीं जिनमें 51 अनुसंधान आलेख प्रस्तुत किए गए । आन्तरिक संगोष्ठियों/सिंपोसियों में छः अनुसंधान आलेख एवं राष्ट्रीय संगोष्ठियों/सिंपोसियें में 48 आलेख प्रस्तुत किए गए । इस अवधि के दौरान करीब 100 अनुसंधान आलेख प्रकाशित/प्रसारित किए गए ।

संस्थान ने "नाचुरल रबड़ः एग्रो मैनेजमेंट एण्ड क्रॉप प्रोससिंग" नामक एक विस्तृत पुस्तक का प्रकाशन किया तथा 2500 प्रतियाँ मुदित कीं । इस अवधि के दौरान "इंडियन जर्नल ऑफ नाचुरल रबड़ रिसर्च" के तीन भाग (भाग 11, 12 एवं 13) तथा परियोजनावार वार्षिक रिपोर्टें प्रकाशित किए। रबरीकृत बिटुमिन पर एक विषय संदर्भग्रन्थ सूची का संकलन एवं प्रकाशन किया गया ।

विदेश के ख्यातिप्राप्त संस्थानों में इस संस्थान के सात वैज्ञानिकों को उच्च प्रशिक्षण दिया गया । बैंगलूर के भारतीय बागवान प्रबंधन संस्थान में संयुक्त निदेशकों, प्रभागों के प्रमुखों एवं क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों को प्रबंधन प्रशिक्षण दिए गए । तेईस कार्मिकों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया ।

XXXXXXX

भाग VI
प्रसंस्करण एवं उपज विकास

प्रसंस्करण एवं उपज विकास विभाग ने रबड़ प्रसंस्करण एवं रबड़ उपज निर्माण क्षेत्रों में कल्पना एवं रेखांकन से लेकर कार्यान्वयन तक समर्थन देने का कार्य जारी रखा/गुणता सुधार एवं बहिस्राव के उपचार एवं निपटारे को भी वरीयता दी गयी । वर्ष के दौरान विभाग के मुख्य कार्यकलाप निम्न प्रकार रहे :

I इंजीनियरी प्रभाग

आदर्श टी एस आर फैक्टरी के निर्माण कार्य, बिजलीकरण एवं बहिस्राव उपचार संयंत्र पूरा किए गए । बिजली आपूर्ति हेतु विद्युत निरीक्षण कार्यालय एवं के एस ई बी से अनुमोदन प्राप्त हुए । फलतः फैक्टरी का औपचारिक उद्घाटन जुलाई 2000 में किया गया । आदर्श रबड़ काष्ठ फैक्टरी के मुख्य फैक्टरी भवन का निर्माण पूरा किया गया । मशीनरियों एवं विद्युत उपकरणों की संस्थापना में काफी प्रगति हुई है । शब्द नियंत्रण पर परामर्श प्रगति में है ।

रबड़ काष्ठ परीक्षण प्रयोगशाला के लिए आवश्यक प्रयोगशाला उपकरणों का प्रापण किया गया एवं संस्थापना की । आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती तथा तैनाती की और आई पी आई आर टी आई, बैंगलूर में प्रशिक्षण दिया गया । कोट्टयम तथा अगर्तला के दो रबड़ प्रशिक्षण केन्द्रों के पूरे निर्माण कार्य, बिजलीकरण एवं उपकरणों की संस्थापना पूरे हो गए तथा केन्द्र अब चालू कर दिए है। गुआहटी के नये कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया । बिजलीकरण प्रगति में हैं । मेघालय के तुरा के कार्यालय परिसर के निर्माण कार्य एवं बिजलीकरण भी पूरा किए गए ।

निम्न लिखित सहकारी समितियों को उनके नाम के आगे लिखे अनुसार प्रसंस्करण/विनिर्माण इकाइयों की संस्थापना हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान की ।

क्रम सं.	सहकारी समिति का नाम	उत्पाद का नाम
1)	कोषंच्चेरी तालुक कृषि विपणन सहकारी समिति लि., कोन्नी	क्रीमड् लाटेक्स
2)	इरिट्टी विपणन सहकारी समिति लि., इरिट्टी	ट्रेड रबड़ का प्रापण किया
3)	कारसरगोड जिला रबड़ विपणन सहकारी समिति लि., चिट्टारिक्कल	फोम रबड़
4)	मीनच्चिल रबड़ विपणन व प्रसंस्करण सहकारी समिति लि., पाला	सेनेक्स इकाई हेतु बहिस्राव उपचार संयंत्र

इनके अलावा, निजी उद्यमियों एवं केरल के सहकारी समितियों को शीट प्रसंस्करण इकाइयों की संस्थापना हेतु परियोजना रिपोर्टें तैयार करके दे दीं ।

उपर्युक्त कार्यों के अलावा विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए प्रशिक्षण विभाग को आवश्यक सहायताएं प्रदान की तथा बोर्ड की गाडियों की निगरानी की एवं अनुरक्षण किया । 22 लाख रुपये की लागत में टाइप III कर्मचारी आवास के खंड IV का निर्माण पूरा किया ।

firaii22

II प्रसंस्करण एवं गुण नियंत्रण प्रभाग

देश में उत्पादित एवं विपणन किए जा रहे तकनीकी विनिर्दिष्ट रबड़ की गुणता सुनिश्चित करने के मद्देनज़र तथा इसे देखने के लिए कि विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा भारत मानक ब्यूरो के विहित तकनीकी मानों को बनाये रखते है या नहीं प्रभाग इन इकाइयों का सामयिक दौरा करता है तथा आवश्यक शुल्क लेकर नमूनों का विश्लेषण करते है तथा जांच रिपोर्ट/प्रमाणपत्र जारी करते हैं । प्रभाग ने वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रयोगशाला में 37069 नमूनों की जांच की तथा विनिर्देशन प्रयोगशाला में 11590 नमूनों की जांच की और परीक्षण शुल्क/भारत मानक ब्यूरो से आंकन शुल्क आदि के रूप में 13.79 लाख रुपये एकत्रित किए । फैक्टरी परिसरों में चलाए गए निरीक्षणों की कुल संख्या 1020 थी तथा जारी की जांच रिपोर्टों की संख्या 586 थी ।

लौरिक अम्ल के साथ और बिना लौरिक अम्ल के उच्च अमोणिया एवं कम अमोणिया लैटेक्स के भंडारण के प्रभाव पर DRC, TSC, NH_3 KOH No., MST, IV, ZOV, ZHST आदि प्राचलों के आधार पर अध्ययन कार्य जारी रखे ।

प्रभाग के पदधारियों ने क्रम्ब रबड़ एवं सान्द्रीकृत लैटेक्स के चक्रवत् आपसी जांच की और परिणामों का सांख्यिकीय मूल्यांकन किया तथा संबंधित फैक्टरियों को उस पर टिप्पणियां सूचित की।

III फैक्टरी प्रबंधन प्रभाग

भारत रबड़ परियोजना सी आर 2409 आई एन के एक संघटक के रूप में तकनीकी आधार पर विनिर्दिष्ट रबड़ के उत्पादन हेतु संस्थापित मॉडेल टी एस आर फैक्टरी का परीक्षण प्रचालन दिसंबर 2000 में शुरू किया गया । संयंत्र की रूपरेखा के अनुसार इसकी उत्पादन क्षमता तीन शिफ्टों में प्रचालित करने पर प्रतिदिन 20 टण है । यहाँ के बहिस्राव उपचार संयंत्र पूर्ण रूप से बहिस्राव के पुनःचक्रण के लिए रूपायित है ताकि परिस्थिति पर प्रतिकूल असर निम्नतम किया जा सकें ।

विकिरण स्रोत की शक्ति बढाकर 100 किलो क्यूरी कर दी तथा भारत रबड़ परियोजना के संघटक स्वरूप स्वाभाविक रबड़ के विकिरण वलकनीकरण के अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त प्रयोगशाला सुविधाओं की संस्थापना करीब 12 दशलक्ष रुपये के निवेश में की । अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप की निगरानी इसके लिए गठित एक अनुसंधान ग्रूप द्वारा की जाती है । चालू कार्यकलापों में स्टेरीन रोपित स्वाभाविक रबड़ के प्रसंस्करण का मानकीकरण एवं विकिरण वल्कनीकृत स्वाभाविक रबड़ लैटेक्स के गुणों में सुधार सम्मिलित हैं । आर वी एन आर एल पर अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ प्रोत्साहित करने हेतु बोर्ड ने विश्वविद्यालयों द्वारा इन सुविधाओं के उपयोग करने की अनुमति दी है ।

कम अमोणिया के सांन्द्रीकृत लाटेक्स के उत्पादन एवं विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु बोर्ड द्वारा 1989 में संस्थापित प्रारंभिक लाटेक्स प्रसंस्करण केन्द्र ने चेत्तक्कल के बोर्ड के केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन में उत्पादित संरक्षित लाटेक्स का तथा इस प्रांत के रबड़ उत्पादक संघों द्वारा एकत्रित फसल का प्रसंस्करण किया । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 142.27 टण सान्द्रीकृत लैटेक्स का प्रसंस्करण फैक्टरी में किया गया ।

स्वाभाविक रबड़ प्रसंस्करण विशेषकर बागानों में ही जमाए श्रेणी के रबड़ के प्रसंस्करण विधि के नवीकरण को प्रोत्साहित एवं त्वरित करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा 1976 में पायलट क्रम्ब रबड़ फैक्टरी की स्थापना की । वर्तमान में नियत श्यानता रबड़, रोपित स्वाभाविक रबड़, मिश्रित स्वाभाविक रबड़ आदि जैसे खास रबड़ों के विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास समर्थन देने पर

विशेष ध्यान दिया जा रहा है । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान फैक्टरी ने 230.4 टण विभिन्न ग्रेड के ब्लॉक रबड़ का तथा 23.6 टण स्टेरीन रोपित स्वाभाविक रबड़ का उत्पादन किया ।

IV रबड़ संवर्धन एवं बाज़ार विकास कार्यकलाप

13034 मेट्रिक टण आर एस एस श्रेणी के रबड़ के प्रापण हेतु राज्य व्यापार निगम को गुणता जांच सहायता (वर्गीकरण समर्थन) प्रभाग ने प्रदान की । प्रभाग ने मे. रबको द्वारा खरीदे गए 9889 मेट्रिक टण आर एस एस IV श्रेणी के रबड़ तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रापण किए 600 मेट्रिक टण डी आर सी सेनेक्स का भी निरीक्षण किया ।

रबड़ विपणन एवं प्रसंस्करण कार्यकलापों के विकास के लिए चलायी जा रही 21 योजनाओं के अधीन विभिन्न सहकारी समितियों, रबड़ बोर्ड कंपनियों, रबड़ उत्पादक संघों एवं रबड़ निर्यातकों को 52,05,204/- रुपये की रकम वितरित की ।

उपर्युक्त के अलावा पूंजी निधि अंशदान, ह्रस्वावधि ऋण एवं प्रचालन पूंजी ऋण के रूप में व्यापार/प्रसंस्करण कंपनियों को 1,47,50,000/- रुपये निर्मुक्त किए गए ।

xxxxxxx

भाग VII
प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श

प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श विभाग के दो प्रभाग हैं याने प्रशिक्षण प्रभाग एवं तकनीकी परामर्श प्रभाग । प्रशिक्षण प्रभाग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं जबकि तकनीकी परामर्श प्रभाग देश में रबड़ माल निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

क. प्रशिक्षण प्रभाग

रबड़ उद्योग के सर्वांगीण विकास हेतु प्रशिक्षित मानव शक्ति उपलब्ध कराने के मद्देनज़र प्रशिक्षण प्रभाग (रबड़ प्रशिक्षण केन्द्र) रबड़ खेती, रबड़ प्रसंस्करण एवं रबड़ उत्पाद निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण देते हैं । इसके लिए रबड़ कृषक, रबड़ प्रसंस्करणकर्ता, रबड़ उत्पादों के निर्माता, रबड़ व्यापारी, रबड़ विपणन समितियाँ, उद्यमी महिलाएं एवं बोर्ड के कर्मचारी लक्षित वर्ग हैं । विभिन्न लक्षित वर्गों एवं बोर्ड के कर्मचारियों के लाभ हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं तथा वार्षिक प्रशिक्षण कलैंडर तैयार किया जाता है ।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान 3697 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया । इसमें 383 महिला प्रतिभागी, 48 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति एवं 295 बोर्ड के कर्मचारी सम्मिलित है । विश्व बैंक से सहायता प्रदत्त भारत रबड़ परियोजना की सोच "रबड़ प्रशिक्षण केन्द्र" इस वर्ष के दौरान कार्यरत हुआ । प्रशिक्षण शुल्क के रूप में प्रभाग ने 7770 अमरीकी डॉलर तथा 2,21,447 रुपये एकत्रित किए ।

वित्त वर्ष 2000-01 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

क्रम सं.	प्रशिक्षण	अवधि (दिन)	बैचों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	लाभ भोगी	अभ्युक्ति
1	रबड़ खेती एवं प्रबंधन	3	1	6	श्रीलंका के प्रबंधक लोग	
2	रोड रबरीकरण का प्रशिक्षण	3	1	1	तायलैंड से तकनीकी लोग	
3	रबड़ उत्पाद निर्माण पर ह्रस्वावधि प्रशिक्षण	10	2	17	श्रीलंका से तकनीकी अधिकारी गण	महिलाएं-2

4	रबड़ प्रसंस्करण एवं गुणता नियंत्रण	5	5	60	अपोलो टायर्स से रबड़ प्रसंस्करणकर्ता एवं प्रौद्योगिकीविद्	
5	रबड़ शीट वर्गीकरण पर प्रशिक्षण	1	6	142	रबड़ व्यापारी/कृषक	
6	लाटेक्स उत्पाद निर्माण पर ह्रस्वावधि प्रशिक्षण	5	4	56	उद्यमी/रबड़ उद्योगो से व्यक्ति	अनु.जा/अ.ज.जा.-2
7	शुष्क रबड़ उत्पाद निर्माण पर ह्रस्वावधि प्रशिक्षण	8	3	54	—वही—	
8	उत्पादवार प्रशिक्षण	3	4	4	उद्योगों के लोग	अ.जा-1
9	रबड़ बागानों मे मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण	1	4	124	कृषक	महिलाएं-4
10	विभिन्न र उ सं केन्द्रों में मधुमक्खी पालन में विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण	1	31	1360	र उ सं सदस्य	महिलाएं-377 (अ.ज.जा-45)
11	र उ सं केन्द्रों मे कीट प्रबंधन पर प्रशिक्षण	1	1	10	र उ सं सदस्य	
12	बोर्ड के कर्मचारियों का प्रशिक्षण	3	9	295	बोर्ड के कर्मचारी	विविध विभागो से
13	दौरा - सह - प्रशिक्षण	1	74	1568		
	योग		145	3697		

ख तकनीकी परामर्श प्रभाग

रबड़ आधारित उद्योगों की संस्थापना हेतु उद्यमियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, रबड़ उत्पादों को विकसित करना, विद्यमान इकाइयों की उत्पादन समस्याएं सुलझाना तथा रबड़ रसायनों/रबड़ सम्मिश्रों/उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय मानकों के आधार पर जांच द्वारा गुणता नियंत्रण आदि इस प्रभाग के मुख्य कार्यकलाप हैं । रबड़ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन विस्तृत परियोजना रिपोर्टों, बाज़ार सर्वेक्षण रिपोर्टों, व्यापार निदेशिकाओं की तैयारी आदि जैसे कार्यकलाप भी प्रभाग करते हैं । स्वाभाविक रबड़ के

उपभोग बढाने के लक्ष्य से वर्तमान में प्रभाग रबड़ उद्योग पार्कों की संस्थापना कार्य में लगा हुआ है। स्वाभाविक रबड़ के निर्यात संवर्धन के लिए भी आवश्यक कदम उठाए है ।

विभिन्न रबड़ आधारित उद्योगों की संस्थापना हेतु वर्ष 2000-01 के दौरान 12 परियोजना रिपोर्टें एवं योजनाएं तैयार कीं । परामर्श आधार पर 10 इकाई को तकनीकी सेवाएं प्रदान कीं । 42 उत्पाद विकसित किए तथा 40 ग्राहकों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की । करीब 400 इकाइयों से प्राप्त रबड़ सम्मिश्र/उत्पादों (करीब 4800 प्राचलों की जांच हेतु करीब 1500 नमूने) की जांच की और गुणता प्राप्त करने हेतु आवश्यक तकनीकी सलाह दी गयी । रबड़ मिश्रों की तैयारी हेतु उपयुक्तता की पहचान के लिए करीब 100 रबड़ रसायनों/आमिश्रण वस्तुओं के मूल्यांकन किए गए तथा सिफारिशें दी गयीं । 400 इकाइयों को निर्यात सहायता प्रदान की । 4 बाज़ार सर्वेक्षण रिपोर्टें एवं दो व्यापार निदेशिकाओं की तैयारी संपूर्ण होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । प्रभाग के अन्य कार्य जैसे शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण, सलाहकारी, जांच उपकरणों के प्रापण आदि जारी रखे । उपर्युक्त परामर्श कार्यकलापों से प्रभाग की वार्षिक आय 9,62,858 रुपये रही ।

स्थानीय निकायों द्वारा रोड रबरीकरण की यक योजना का प्रस्ताव किया है तथा इसके लिए 20 लाख रुपये आबंटित किए ।

स्वाभाविक रबड़ एवं रबड़ उत्पादों की निर्यात प्रोत्साहित करने हेतु एक निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ गठित किया है । निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ से संबंधित विभिन्न कार्य एवं उद्भव स्थान प्रमाणपत्र जारी करने के कार्य शुरू किए गए ।

कोची में रबड़ पार्क परियोजना के लिए आबंटित 45 एकड़ (प्रथम चरण) भूमि में भूमि विकास पूरा हो गया है तथा जिसमें मलेशिया के सहयोगवाले एक लाटेक्स उत्पाद निर्माण इकाई (लाटेक्स ट्रेड) को 7 एकड का आबंटन हो चुका है । 30 एकड़ भूमि आंबटन हेतु तैयार है । जल एवं बिजली आपूर्ति के प्रबंध प्रगति में है । 50 एकड़ (दूसरा चरण) का भूमि विकास कार्य तुरंत शुरू हो जानेवाला है । प्लॉटों के विपणन हेतु आवश्यक कार्रवाई शुरू की है ।

वर्ष के दौरान प्रभाग ने निम्न लिखित रबड़ उत्पादों को विकसित किया ।

1. पारदर्शी खेल गेंद (आयात प्रतिस्थानी)
2. लाटेक्स खिलौने (आयात प्रतिस्थानी)
3. फर्श चटाई (विशेष तरीके की - आयात प्रतिस्थानी)
4. ऑयल सील व मड फ्लाप

4	रबड़ प्रसंस्करण एवं गुणता नियंत्रण	5	5	60	अपोलो टायर्स से रबड़ प्रसंस्करणकर्ता एवं प्रौद्योगिकीविद्	
5	रबड़ शीट वर्गीकरण पर प्रशिक्षण	1	6	142	रबड़ व्यापारी/कृषक	
6	लाटेक्स उत्पाद निर्माण पर ह्रस्वावधि प्रशिक्षण	5	4	56	उद्यमी/रबड़ उद्योगों से व्यक्ति	अनु.जा/अ.ज.जा -2
7	शुष्क रबड़ उत्पाद निर्माण पर ह्रस्वावधि प्रशिक्षण	8	3	54	--वही--	
8	उत्पादवार प्रशिक्षण	3	4	4	उद्योगों के लोग	अ.जा-1
9	रबड़ बागानों में मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण	1	4	124	कृषक	महिलाएं-4
10	विभिन्न र उ सं केन्द्रों में मधुमक्खी पालन में विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण	1	31	1360	र उ सं सदस्य	महिलाएं-377 (अ.ज.जा-45)
11	र उ सं केन्द्रों में कीट प्रबंधन पर प्रशिक्षण	1	1	10	र उ सं सदस्य	
12	बोर्ड के कर्मचारियों का प्रशिक्षण	3	9	295	बोर्ड के कर्मचारी	विविध विभागों से
13	दौरा - सह - प्रशिक्षण योग	1	74 145	1568 3697		

ख तकनीकी परामर्श प्रभाग

रबड़ आधारित उद्योगों की संस्थापना हेतु उद्यमियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, रबड़ उत्पादों को विकसित करना, विद्यमान इकाइयों की उत्पादन समस्याएं सुलझाना तथा रबड़ रसायनों/रबड़ सम्मिश्रों/उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय मानकों के आधार पर जांच द्वारा गुणता नियंत्रण आदि इस प्रभाग के मुख्य कार्यकलाप हैं । रबड़ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन विस्तृत परियोजना रिपोर्टों, बाज़ार सर्वेक्षण रिपोर्टों, व्यापार निदेशिकाओं की तैयारी आदि जैसे कार्यकलाप भी प्रभाग करते हैं । स्वाभाविक रबड़ के

उपभोग बढाने के लक्ष्य से वर्तमान में प्रभाग रबड़ उद्योग पार्कों की संस्थापना कार्य में लगा हुआ है। स्वाभाविक रबड़ के निर्यात संवर्धन के लिए भी आवश्यक कदम उठाए है ।

विभिन्न रबड़ आधारित उद्योगों की संस्थापना हेतु वर्ष 2000-01 के दौरान 12 परियोजना रिपोर्टें एवं योजनाएं तैयार कीं । परामर्श आधार पर 10 इकाई को तकनीकी सेवाएं प्रदान कीं । 42 उत्पाद विकसित किए तथा 40 ग्राहकों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की । करीब 400 इकाइयों से प्राप्त रबड़ सम्मिश्र/उत्पादों (करीब 4800 प्राचलों की जांच हेतु करीब 1500 नमूने) की जांच की और गुणता प्राप्त करने हेतु आवश्यक तकनीकी सलाह दी गयी । रबड़ मिश्रों की तैयारी हेतु उपयुक्तता की पहचान के लिए करीब 100 रबड़ रसायनों/आमिश्रण वस्तुओं के मूल्यांकन किए गए तथा सिफारिशें दी गयीं । 400 इकाइयों को निर्यात सहायता प्रदान की । 4 बाज़ार सर्वेक्षण रिपोर्टें एवं दो व्यापार निदेशिकाओं की तैयारी संपूर्ण होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । प्रभाग के अन्य कार्य जैसे शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण, सलाहकारी, जांच उपकरणों के प्रापण आदि जारी रखे । उपर्युक्त परामर्श कार्यकलापों से प्रभाग की वार्षिक आय 9,62,858 रुपये रही ।

स्थानीय निकायों द्वारा रोड रबरीकरण की यक योजना का प्रस्ताव किया है तथा इसके लिए 20 लाख रुपये आबंटित किए ।

स्वाभाविक रबड़ एवं रबड़ उत्पादों की निर्यात प्रोत्साहित करने हेतु एक निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ गठित किया है । निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ से संबंधित विभिन्न कार्य एवं उद्भव स्थान प्रमाणपत्र जारी करने के कार्य शुरू किए गए ।

कोची में रबड़ पार्क परियोजना के लिए आबंटित 45 एकड़ (प्रथम चरण) भूमि में भूमि विकास पूरा हो गया है तथा जिसमें मलेशिया के सहयोगवाले एक लाटेक्स उत्पाद निर्माण इकाई (लाटेक्स त्रेड) को 7 एकड का आबंटन हो चुका है । 30 एकड़ भूमि आंबटन हेतु तैयार है । जल एवं बिजली आपूर्ति के प्रबंध प्रगति में है । 50 एकड़ (दूसरा चरण) का भूमि विकास कार्य तुरंत शुरू हो जानेवाला है । प्लॉटों के विपणन हेतु आवश्यक कार्रवाई शुरू की है ।

वर्ष के दौरान प्रभाग ने निम्न लिखित रबड़ उत्पादों को विकसित किया ।

1. पारदर्शी खेल गेंद (आयात प्रतिस्थानी)
2. लाटेक्स खिलौने (आयात प्रतिस्थानी)
3. फर्श चटाई (विशेष तरीके की - आयात प्रतिस्थानी)
4. ऑयल सील व मड फ्लाप

5. ई पी डी एम रबड़ गास्केट
6. हवाय चप्पल
7. खिलौना सांप की जीभ (डिप किया हुआ)
8. पेनरोस ट्यूबिंग
9. हॉलो मैट (ग्रीस रोधी)
10. विलय आसंजक
11. नियोप्रीन गास्केट
12. जल प्रसारण नलों के लिए रबड़ सीलिंग रिंग
13. ए सी इकाइयों के लिए वाइब्रेशन पैड एवं रबड़ हॉल्डर
14. नियोप्रीन आसंजक
15. स्वाभाविक रबड़ आसंजक
16. एम सी सोलिंग्स एवं लचक चटाई
17. ऑटो बूट
18. पारदर्शी रबड़ बैंड
19. ढाल दी रबड़ सामग्री
20. रबड़ बीडिंग
21. एल पी गैस बाहनों के लिए फ्लॉर मैट
22. प्लास्टर ऑफ पैरिस कामों के लिए सांचे
23. कैथेटर ट्यूब
24. कंघी के लिए एबोनाइट शीट
25. न फिसलनेवाले फॉम चटाई
26. औद्योगिक दस्ताना
27. फर्श टाइलों के लिए रबड़ सांचे
28. फार्मस्यूटिकल क्लोशर्स
29. स्वाभाविक रबड़ लाटेक्स से कैथेटर ट्यूब
30. कैथेटर वयल्स
31. इंजन माउटिंग एवं कप्लिंग बुश
32. टैंक लाइनिंग
33. ऑटो रबड़ संघटक
34. आन्टि वाईब्रेशन पैड
35. वाहनों में प्रयोग हेतु माउटिंग
36. माउस पैड
37. छिपकानेवाला गोंद एवं काला वल्कनाइसिंग सिमेंट
38. पूर्वोपचारित ट्रेड
39. सर्जिकल ट्यूबिंग एवं ट्यूब कनक्टर्स
40. बलून हेतु प्री वल्कनाइज़ड लाटेक्स
41. लाटेक्स आसंजक
42. सील एवं ग्रोमेट्स

XXXXXXX

भाग VIII
वित्त एवं लेखा विभाग

लेखा प्रणाली का रूपायन एवं प्रचालन, बजट तैयार करना, वित्तीय प्राक्कलन एवं रिपोर्ट, बजट नियंत्रण का पालन, प्रभावी निधि प्रबंधन, प्रणालियों व प्रक्रियाओं की स्थापना एवं रख रखाव, आन्तरिक लेखा परीक्षा की निगरानी एवं संवैधानिक लेखा परीक्षा, वित्तीय उपयुक्तता एवं कारोबार की नियमितता, कंप्यूटर प्रयोगों का निरीक्षण, लागत नियंत्रण की निगरानी, परियोजनाओं/योजनाओं का मूल्यांकन, कर संबंधी कार्य आदि वित्त एवं लेखा विभाग के प्रमुख कार्य हैं । वर्ष के दौरान विभाग ने निम्न लिखित कार्य किये ।

1. वार्षिक बजट, निष्पादन बजट, विदेशी यात्रा बजट आदि की तैयारी और बजट नियंत्रण का पालन ।
2. बोर्ड के मंजूर बजट के अनुसार धन का आहरण एवं संवितरण ।
3. बोर्ड के लेखों का रख-रखाव, वार्षिक लेखा व तुलन पत्र की तैयारी, महालेखाकर, केरल द्वारा लेखा परीक्षा के लिये लेखो का प्रस्तुतीकरण और लेखापरीक्षा किये गये लेखे रबड़ बोर्ड/मंत्रालय/संसद को प्रस्तुत करना ।
4. समय समय पर भारत सरकार को अनुदान की मांग प्रस्तुत करना, भारत सरकार से निधि स्वीकार करना तथा इसकी अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित करके वित्तीय प्रबंधन ।
5. वित्तीय औचित्य एवं विनिमयन की नियमितता पर सलाह देना और भुगतान नियमित करना।
6. प्राकृतिक रबड़ के मूल्य निर्धारण करने में और उत्पादन लागत निश्चित रूप से जानने में वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा को सहायता देना ।
7. परियोजना रिपोर्ट एवं योजनाओ के लिए वित्तीय विवरणियों की तैयारी ।
8. केन्द्रीय आय कर, कृषि आय कर एवं बिक्री कर मामलों से संबंधित बोर्ड का कार्य निष्पादन।
9. रबड़ बोर्ड एवं रबड़ उत्पादक संघों द्वारा अभिवर्द्धित कंपनियों के कार्यकलापों का समन्वय करना ।
10. वित्तीय लेखे, वेतन रोल आदि के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत डाटा प्रोससिंग एवं अन्य क्षेत्रों में कंप्यूटर उपयोग का समन्वयन।
11. पुनरीक्षण के लिए विश्व बैंक मिशन को आवधिक रूप से प्रस्तुत प्रस्तावों के समर्थन करने वाली विस्तृत लागत सूचियों और अन्य वित्तीय विवरणियों की तैयारी ।

12.समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य हकदारों का आहरण एवं संवितरण ।

13.पेंशन निधि एवं सामान्य भविष्य निधि का प्रबंधन तथा उससे संवितरण का नियमन ।

14.कंप्यूटरीकरण एवं बोर्ड के सभी विभागों से नेट संपर्क स्थापित करने की योजना का कार्यान्वयन ।

वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखे

वर्ष 1999-2000 के लिये सांविधिक वार्षिक लेखे तैयार किये और निश्चित समय में ही महालेखाकार, केरल को भेज दिये । महालेखाकार, केरल से प्राप्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे प्रमाण पत्र के साथ बोर्ड को प्रस्तुत किया तथा केन्द्र सरकार को भेज दिया था।

2000-01 का संशोधित प्राक्कलन और 2001-02 का बजट प्राक्कलन

2000-01 के लिये संशोधित बजट और 2001-02 के लिये बजट प्राक्कलन समय पर तैयार किये तथा सरकार को प्रस्तुत किये । 2000-01 के लिये प्लान एवं नोन-प्लान दोनों को मिलाकर अनुमोदित बजट 112.45 करोड रु. था जिसे अनुमोदित परिशोधित प्राक्कलन में कम करके 94.52 करोड रुपये कर दिए गए थे । इसके बदले इस वर्ष का वास्तविक खर्च 83.07 करोड रु. था (अनंतिम) । मूलरूप से निर्धारित वित्तीय लक्ष्य विश्व बैंक परियोजना योजनाओं के एकाएक 30/9/2000 को बंद हो जाने तथा विविध कठिनाइयों की वजह से उत्तरपूर्वी क्षेत्र में निर्धारित समय अवधि के अन्दर कुछ योजनाएं कार्यान्वित नहीं किये जा सकने के कारण प्राप्त नहीं किए जा सके । वर्ष 2001-02 के लिये प्रस्तावित कुल बजट प्राक्कलन 89.38 करोड रु. था तो आंतरिक संसाधनों को मिलाकर अनुमोदित बजट 85.42 करोड रु. है ।

निधियों का प्रबंधन

(i) सामान्य निधि

वर्ष 2000-01 के दौरान 32.11 करोड रु. की विदेशी सहायता सहित बजट समर्थन के रूप में सरकार से 77.11 करोड रु. मिला था । आंतरिक संसाधन लगभग 10.70 करोड रु. था। 2001-01 वर्ष का कुल व्यय 83.07 करोड रु. था ।

(ii) सामान्य भविष्य निधि/पेंशन निधि

2001 मार्च 31 को सामान्य भविष्य निधि में 1359.85 लाख रु. और पेंशन निधि में 1037.27 लाख रु. बाकी थे । अधिकतम प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिए निधियों के संचय का निवेश किया था। बोर्ड में 2548 सा.भ.नि.खाते हैं । वर्ष के दौरान 440 सेवा निवृत्तों को पेंशन दिये गये ।

(iii) लागत लेखे

रबड़ के मूल्य निर्धारित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर रबड़ बागान, रोपण सामग्रियों एवं स्वाभाविक रबड़ की उत्पादन लागत, प्रसंस्करण लागत आदि के लागत आंकडों का एकत्रण एवं विश्लेषण तथा अद्यतन करना ताकि सरकार, ए एन आर पी सी आदि को प्रस्तुत किया जा सकें।

(iv) बोर्ड का कंप्यूटरिकरण

बोर्ड के सभी विभागों के कंप्यूटरीकरण के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का संयोजन वित्त विभाग द्वारा किया जाता है । (विश्व बैंक से सहायताप्रदत्त परियोजना के अधीन कंप्यूटरीकरण का द्वितीय चरण)

xxxxxxx

भाग IX
अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 12 के अनुसार भारत में उत्पादित सारे रबड़ का उत्पाद शुल्क (उपकर) का निर्धारण एवं संग्रह करने का दायित्व रबड़ बोर्ड को सौंपा गया है । एकत्रण लागत घटाकर भारत की समेकित निधि में इस तरह एकत्रित उपकर का जमा करना है । रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 14 के अधीन रबड़ के सभी लेनदेन बोर्ड से जारी अनुज्ञापत्र के अधीन नियंत्रित किये जाते हैं । हरेक अनुज्ञप्तधारी को उनके द्वारा खरीदे और उपयोग किये रबड़ का परिमाण सामयिक विवरणियों के द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत करना है । प्रपत्र-एन में घोषणा से रबड़ का अन्तर्राज्य परिवहन नियंत्रित किया जाता है । विनिर्माताओं/व्यापारियों/प्रक्रमणकर्ताओं द्वारा अनुरक्षित लेखों व रखे गए स्टॉक की सच्चाई की जांच हेतु सामयिक निरीक्षण भी किया जाता है । इन कार्यों का निष्पादन/मॉनीटरिंग रबड़ बोर्ड के अनुज्ञापन एवं उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके निम्न लिखित प्रभाग व कार्यालय हैं ।

I उत्पाद शुल्क प्रभाग

रबड़ के अर्जन हेतु विनिर्माताओं को अनुज्ञप्ति जारी करना, रबड़ के उत्पाद शुल्क (उपकर) का निर्धारण, एकत्रण तथा भारत की समेकित निधि में जमा करना आदि उत्पाद शुल्क प्रभाग के मुख्य कार्य हैं ।

(1) अनुज्ञापत्र का वितरण

(क) वर्ष 2000-2001 के लिए अनुज्ञापत्र का वितरण

प्रत्याशित विनिर्माता यूनिटों को नये अनुज्ञापत्र और वर्तमान विनिर्माताओं के अनुज्ञापत्र का अगले वर्ष हेतु नवीकरण आदि कार्य इसमें सम्मिलित हैं । वर्ष 2000-2001 के दौरान जारी किए अनुज्ञापत्रों का विवरण निम्न प्रकार है ।

नये अनुज्ञापत्र	275 सं.
अनुज्ञापत्र का नवीकरण	4800 सं.
कुल	**5075 सं.**

वर्ष के दौरान उनके अनुरोध के अनुसार 13 विनिर्माताओं के अनुज्ञापत्र रद्द किये थे । 31.3.2001 के अंत में कुल अनुज्ञापत्रित विनिर्माताओं की संख्या 5062 थी । 2001 मार्च 31 तक के अनुज्ञापत्रित विनिर्माताओं का राज्यवार विवरण निम्न प्रकार है ।

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	एककों की संख्या
01	केरल	891
02	महाराष्ट्र	612
03	पंजाब	537
04	तमिलनाडु	502
05	पश्चिम बंगाल	447
06	उत्तर प्रदेश	438
07	गुजरात	378
08	दिल्ली	276
09	हरियाना	289
10	कर्नाटक	229
11	आन्ध्र प्रदेश	139
12	राजस्थान	87
13	मध्य प्रदेश	88
14	बिहार	34
15	पोंडिच्चेरी	30
16	चन्डीगढ	17
17	गोवा, दाद्रा, नागरहवेली और दमन	25
18	उड़ीसा	14
19	हिमाचल प्रदेश	6
20	जम्मु एवं कश्मीर	8
21	असम	6
22	त्रिपुरा	9
	कुल	**5062**

प्रभाग ने रबड़ बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों, रबड़ व्यापारियों तथा अन्य आम जनता को संदर्भ हेतु अनुज्ञापत्रित विनिर्माताओं की सूची तैयार करके दे दी ।

(ख) वर्ष 2001-2002 के लिए अनुज्ञापत्र का नवीकरण

प्रभाग ने वर्ष 2001-2002 के लिए 3113 विद्यमान विनिर्माताओं के अनुज्ञापत्रों का नवीकरण किया ।

(2) विनिर्माताओं की ओर से एजेंटों/व्यापारियों द्वारा रबड़ की खरीद हेतु प्राधिकृत पत्र का पंजीकरण

रबड़ खरीदने एवं भेजने के लिए अपने अभिकर्ता व्यापारियों के नाम पर विनिर्माताओं द्वारा दिये 426 प्राधिकृत पत्रों को प्रभाग ने पंजीकृत किया था ।

(3) शाखा/खरीद डिपो का पंजीकरण

विनिर्माताओं से प्राप्त आवेदनों के आधार पर रिपोर्ट वर्ष के दौरान 14 नयी शाखाओं/खरीद डिपो का पंजीकरण किया था ।

(4) रबड़ की खरीद हेतु प्राधिकृत पत्र

अग्रिम उपकर संग्रह करने के बाद प्रायोगिक परीक्षणों के लक्ष्य से रबड़ प्राप्त करने के लिए नियमित अनुज्ञापत्र के स्थान विशेष प्राधिकृत पत्र 11 संगठनों/संस्थाओं को जारी किये थे ।

(5) उत्पाद शुल्क (उपकर) का निर्धारण एवं एकत्रण

वर्ष 1999-2000 के दौरान के 7790.96 लाख रुपये के निर्धारण के स्थान पर वर्ष 2000-01 का रबड़ पर कुल उपकर का निर्धारण 8255.05 लाख रुपये रहा । वर्ष के दौरान विनिर्माताओं से एकत्रित कुल अर्धवार्षिक विवरणियाँ (प्रपत्र 'एम') 10273 रहीं । इनमें 1765 "शून्य" विवरणियाँ रहीं । देश के विभिन्न भागों में कार्यरत संपर्क अधिकारियों तथा निरीक्षण कर्मियों ने 1653 वैयक्तिक निरीक्षण रिपोर्टों प्रस्तुत की हैं जिनपर उचित कार्रवाई की थी ।

रिपोर्ट अवधि के दौरान एकत्रित रबड़ पर उत्पाद शुल्क (उपकर) 8219.05 लाख रुपये रहा जबकि वर्ष 1999-2000 में यह 7556.25 लाख रुपये रहा । इसमें संग्रह की लागत कम करके 8087.44 लाख रुपये भारत की समेकित निधि में जमा किये थे ।

वर्ष 2000-01 के दौरान रबड़ के उपकर, अनुज्ञापत्र शुल्क एवं सेवा प्रभार आदि के तौर पर स्वीकृत सुरक्षा सामग्रियों (डिमांड ड्राफ्ट) की संख्या 14094 रही । सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोट्टयम में भारत की समेकित निधि में जमा तथा क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, चेन्नै के साथ लेखा समाधान पूरा किया गया । वर्ष 1999-2000 के मांग, एकत्रण एवं शेष (डी सी बी) विवरण तैयार किया गया तथा रिपोर्ट अवधि के उपकर एकत्रण के अंतिम लेखे भी तैयार किये ।

कुल अनुज्ञापत्र शुल्क और सेवा प्रभार के तौर पर वर्ष 2000-01 के दौरान 9,69,360/- रु. संग्रहित किये थे । इसके अलावा उपकर के देरी से जमा करने के कारण दंडस्वरूप ब्याज के रूप में 31,45,452 रु. की रकम का भी संग्रहण किया था ।

II अनुज्ञापन प्रभाग

कोची स्थित अनुज्ञापन प्रभाग के मुख्य कार्य रबड़ व्यापारियों, प्रक्रमणकर्ताओं का अनुज्ञापन तथा उनकी शाखाओं व अभिकर्ताओं का पंजीकरण, नियमों के पालन न करनेवाले व्यापारियों एवं प्रक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू करना आदि है ।

(i) पिछले वर्ष के अंत में अनुज्ञापत्रित व्यापारियों की संख्या जो 10,514 थी वह मामूली-सी घटकर वर्षांत में 10482 हो गयी । रिपोर्ट अवधि के दौरान 791 नये अनुज्ञापत्र जारी किये तथा 716 व्यापारियों के अनुज्ञापत्र का नवीकरण किया गया । इसके अलावा पाँच वर्षों तक की अवधि के लिए 1724 व्यापारियों ने अनुज्ञापत्र का नवीकरण किया गया जिनकी वैधता 1/4/2001 से शुरू होती है ।

(ii) प्रक्रमणकर्ताओं के अनुज्ञापन

वर्ष के दौरान 57 अनुज्ञापत्रों का नवीकरण किया गया ।

(iii) व्यापारियों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के अनुज्ञापत्रों का निलंबन एवं प्रतिसंहरण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 344 व्यापारियों के अनुज्ञापत्र एवं 1 प्रक्रमणकर्ता के अनुज्ञापत्र रद्द किये गये । इसके अलावा रबड़ अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के कारण 4

व्यापारियों के अनुज्ञापत्र निलंबित किये गये । 6 व्यापारियों के अनुज्ञापत्रों का प्रतिसंहरण किया गया। लेकिन 2 व्यापारियों के अनुज्ञापत्र उनसे संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने से अनुज्ञापत्रों के निलंबन के रद्द किया तथा पुनस्थापित कर दिया ।

(iv) शाखाओं व अभिकरणों का पंजीकरण

वर्ष के दौरान व्यापारियों एवं प्रक्रमणकर्ताओं की 311 नयी शाखाओं का पंजीकरण किया गया जिससे मार्च 2001 के अंत तक कुल पंजीकृत शाखाओं की संख्या बढकर 1189 हो गयी । इसके अलावा वर्ष 2000-01 के दौरान मुख्य व्यापारियों द्वारा उनके अभिकरणों के नाम उनके लिए रबड़ की खरीद करने तथा भेजने हेतु जारी 267 प्राधिकरण पत्रों को पंजीकृत किया गया ।

(v) व्यापारियों से उपकर का एकत्रण

स्टोक में अनियमितता एवं विसंगतियों के कारण रबड़ के उपकर के समतुल्य 7,20,579 रु. की रकम व्यापारियों से एकत्रित की गई ।

(vi) प्रपत्र 'एन' की आपूर्ति

राज्य से बाहर रबड़ के परिवहन हेतु कोची क्षेत्र में विभिन्न बागानों, व्यापारियों, प्रक्रमणकर्ताओं एवं विनिर्माताओं को प्रपत्र 'एन' की 6549 बुकों की आपूर्ति की गई ।

(vii) व्यापारियों एवं प्रक्रमणकर्ताओं का वितरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	व्यापारियों की संख्या	प्रक्रमणकर्ताओं की संख्या
01	केरल	9290	115
02	आन्ध्र प्रदेश	3	-
03	असम	26	-
04	आन्डमान एवं निकोबार	7	-
05	बिहार	6	-
06	चंडीगढ	6	-
07	दिल्ली	144	-
08	गोवा	1	-
09	गुजरात	36	-
10	हरियाना	42	-
11	जम्मु एवं कश्मीर	1	-
12	कर्नाटक	118	8

13	मध्य प्रदेश	5	-
14	महाराष्ट्र	90	-
15	मेघालय	13	-
16	उड़ीसा	1	-
17	पंजाब	170	-
18	राजस्थान	18	-
19	तमिलनाडु	213	9
20	त्रिपुरा	120	1
21	उत्तर प्रदेश	83	-
22	पश्चिम बंगाल	86	-
23	पोंडिच्चेरी	2	-
24	नागालैंड	1	-
	कुल	10482	133

क) केरल में व्यापारियों का जिलावार वितरण

क्रम सं.	जिला का नाम	व्यापारियों की संख्या
01	आलप्पुषा	133
02	एरणाकुलम	1241
03	इडुक्की	457
04	कण्णूर	449
05	कासरगोड	103
06	कोल्लम	1146
07	कोट्टयम	2523
08	कोषिक्कोड	220
09	मलप्पुरम	419
10	पालक्काड	326
11	पत्तनंतिट्टा	1175
12	तिरुवनन्तपुरम	869
13	तृश्शूर	168
14	वयनाड	71
	कुल	9290

III विपणन आसूचना प्रभाग

झूठे/अनुज्ञापत्रहीन रबड़ व्यापार का पता लगाना, व्यापारियों के व्यापार केन्द्रों में उनके बही खातों व स्टॉक की सच्चाई की जांच के लिए आकस्मिक निरीक्षण/स्क्वाड निरीक्षण तथा व्यापारियों/विनिर्माताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्राप्त रबड़ के परिमाण की सत्यता का निर्णय करने के लिये उनके द्वारा प्रस्तुत सांविधिक विवरणियों और प्रत्यक्ष स्टॉक का परस्पर जांच, रोड चेकिंग, रबड़ के उपकर अपवंचन रोकने तथा जिससे उपकर संग्रह सुधारने के लिए चेक पोस्ट और रेलवे पार्सल कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण आदि विपणन आसूचना प्रभाग के मुख्य कार्य थे । रबड़ के व्यापार में अनुज्ञापत्र देने के लिए उनके व्यापार केन्द्रों एवं आवेदकों की योग्यता के निर्णय करने के लिए व्यापारियों की शाखाओं का पंजीकरण और नये/अतिरिक्त केन्द्रों का अनुमोदन और क्षेत्रीय लाटक्स संग्रह के लिये विशेष प्राधिकार देना आदि के लिये निरीक्षण चलाये थे ।

1. *निरीक्षण दल*

1.1 कोषिक्कोड, कोची, कोट्टयम व तिरुवनन्तपुरम से कार्यरत निरीक्षण दलों और पालक्काड, पुनलूर और नागरकोइल के निरीक्षकों (विपणन आसूचना) ने झूठे व्यापार का सामयिक निरोध करने तथा जिससे उपकर संग्रह में वृद्धि करने में बडी सहायता की । कई रबड़ व्यापारियों से मासिक विवरणियाँ संग्रहित करने में भी इन निरीक्षणों ने सहायता की ।

1.2 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान दल कई दिन दौरे पर रहे तथा 2806 अनुज्ञापत्रित व्यापारियों एवं 70 गैर अनुज्ञापत्रित व्यापारियों का निरीक्षण किया और 400 मेट्रिक टण की कमी/बेहिसाब के स्टॉक/अनियमित बिक्री के 350 अनियमित मामलों का पता लगाया । संबद्ध पार्टियों से रबड़ के उपकर के रूप में 6,66,917 रु. का संग्रह किया गया । दल ने सड़क चेकिंग, चेक पोस्टों का अचानक निरीक्षण व सीमा क्षेत्र का निरीक्षण किया जो सीमा पार करके रबड़ का झूठा व्यापार व तस्कर व्यापार कम करने में प्रभावी रहा ।

निरीक्षण रिपोर्ट, प्रपत्र-एन पर घोषणा/चेक पोस्टों का दैनिक विवरण आदि की संवीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया । गंभीर अनियमितताओं के पता चलने के आधार पर दो व्यापारियों के अनुज्ञापत्र निलंबित करने की अनुशंसा दी ।

2. *चैक पोस्ट/रबड़ का अन्तर्राज्य परिवहन*

2.1 रबड़ के अन्तर राज्य परिवहन पर निगरानी को सुशक्त करने के लिए रबड़ परेषण के साथ प्रेषित दस्तावेजों की नियमित जांच केरल के दो स्थानों याने पालक्काड जिला के वालयार, कासरगोड जिला के बेंगरा मंजेश्वरम व तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिला के कावलकिणर चेक पोस्टों में की गई ।

2.2 तीन चेक पोस्टों द्वारा बरती गई निगरानी रबड़ के अवैध परिवहन का पता लगाने में सहायक रही । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान वालयार, मंजेश्वरम व कावलकिणर चेक पोस्टों के अधिकारियों ने विभिन्न कारणों से 30 परेषण रोके रखे । इनमें 19 परेषणों को वैध दस्तावेजों/संतोषजनक स्पष्टीकरण की प्रस्तुति पर सीमा पार करने की अनुमति दी गयी एवं 9 परेषण परेषक विश्वासजनक सबूत प्रस्तुत न करने पर उपकर की रकम एवं सुरक्षा जमा के रूप में 1,40,257 रु. एकत्रित करके मुक्त किये गए । अन्य दो मामलों में उपकर के रूप में 4,70,297 रु. का संग्रह करके परेषण मुक्त किए गए । बोर्ड के चेकपोस्ट पदधारियों/निरीक्षकों (विपणन आसूचना) ने बिक्री कर/पुलिस पदधारियों को आवश्यक सभी सहायताएं प्रदान की जिन्होंने संदेहात्मक स्थिति में भेजे गए 9 परेषण रोक दिए थे ।

2.3 रिपोर्ट अवधि के दौरान निम्न विवरण के अनुसार तीन चेक पोस्टों से होकर रबड़ के 43791 परेषण पार किए ।

i)	वालयार चेक पोस्ट	:	29610
ii)	मंजेश्वरम चेक पोस्ट	:	9284
iii)	कावलकिणर चेक पोस्ट	:	4897
	कुल	:	43,791

2.4 वर्ष 2000-2001 के दौरान विभिन्न बागानों, प्रसंस्करणकर्ताओं, व्यापारियों एवं विनिर्माताओं को 2276 एन बुकों की आपूर्ति कीं । बाज़ार आसूचना प्रभाग में 65532 प्रपत्र-एन घोषणाओं की प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुई तथा जहाँ विसंगतियाँ देखी गयी, वहाँ उचित कार्रवाई की ।

3. *मासिक विवरणियों की दुतरफी जांच*

3.1 विभिन्न व्यापारियों/विनिर्माताओं/प्रसंस्करणकर्ताओं/बागानों से प्राप्त मासिक विवरणियों व प्रपत्र-एन घोषणाओं की प्रतिलिपियों की दुतरफी जांच की गई एवं 164 मामलों में विसंगतियां पायी गयी । विरोधी व्यापार के मामलों में 19,23,759/- रु. की रकम भी वसूल की गयी ।

3.2 बाज़ार आसूचना प्रभाग की सूक्ष्म निगरानी के फलस्वरूप

(क) अनियमित व्यापार में लगे एक छोटे विनिर्माता से वर्ष 2000-2001 के दौरान रबड़ पर उपकर के रूप में 41,15,000/- रु. की वसूली की थी ।

(ख) वैध अनुज्ञापत्र के बिना रबड़ की भारी खरीद करते रहे एक फॉम विनिर्माण इकाई को अनुज्ञापत्रित किया गया तथा उनसे 9,56,778 रु. एकत्रित किया जा सका ।

3.3 इस तरह बाज़ार आसूचना प्रभाग के प्रयासों के फलस्वरूप 82,73,008/- रु. की रकम वर्ष के दौरान अतिरिक्त रूप से एकत्रित की जा सकी ।

IV उप/संपर्क कार्यालय

रबड़ पर उपकर के संग्रह की प्रगति और विविध मंत्रालयों तथा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, राजस्व जैसे विभागों के प्राधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करने और व्यापारियों एवं विनिर्माताओं के कारोबार की निगरानी की दृष्टि से बोर्ड ने केरल के बाहर के प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों में -- याने चेन्नै, बैंगलूर, सेकन्दराबाद, अहम्मदाबाद, कानपुर, मुम्बई, कलकत्ता, जलंधर और नई दिल्ली--नौ उप/संपर्क कार्यालयों का रख रखाव करते हैं । रबड़ के व्यापार में अनुज्ञापत्र देने में या रबड़ माल विनिर्माताओं को रबड़ खरीदने में आवेदकों की योग्यता का निर्धारण इन कार्यालयों का मुख्य कार्य है । रबड़ माल विनिर्माताओं और व्यापारियों के क्रय और उनके स्टॉक की भी आकस्मिक जांच की

जाती है । अनुज्ञापत्रधारियों के बही खाते एवं अभिलेखाओं का सत्यापन भी सुनिश्चित किया था कि उनके द्वारा प्रापण किये गये सारे रबड़ के उपकर के निर्धारण से संबंधित सारे अभिलेख, बही खाते में ठीक प्रकार दर्ज किये गये हैं । रबड़ अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों के उल्लंघन करके रबड़ मालों के विनिर्माण में या रबड़ व्यापार में बिना अनुज्ञापत्रित लोगों का पता लगाने के लिये आकस्मिक जॉचें की गईं ताकि उपकर के राजस्व हानि को रोका जा सकें ।

XXXXXXX

2.4 वर्ष 2000-2001 के दौरान विभिन्न बागानों, प्रसंस्करणकर्ताओं, व्यापारियों एवं विनिर्माताओं को 2276 एन बुकों की आपूर्ति कीं । बाज़ार आसूचना प्रभाग में 65532 प्रपत्र-एन घोषणाओं की प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुई तथा जहाँ विसंगतियाँ देखी गयी, वहाँ उचित कार्रवाई की ।

3. *मासिक विवरणियों की दुतरफी जांच*

3.1 विभिन्न व्यापारियों/विनिर्माताओं/प्रसंस्करणकर्ताओं/बागानों से प्राप्त मासिक विवरणियों व प्रपत्र-एन घोषणाओं की प्रतिलिपियों की दुतरफी जांच की गई एवं 164 मामलों में विसंगतियां पायी गयी । विरोधी व्यापार के मामलों में 19,23,759/- रु. की रकम भी वसूल की गयी ।

3.2 बाज़ार आसूचना प्रभाग की सूक्ष्म निगरानी के फलस्वरूप

(क) अनियमित व्यापार में लगे एक छोटे विनिर्माता से वर्ष 2000-2001 के दौरान रबड़ पर उपकर के रूप में 41,15,000/- रु. की वसूली की थी ।

(ख) वैध अनुज्ञापत्र के बिना रबड़ की भारी खरीद करते रहे एक फॉम विनिर्माण इकाई को अनुज्ञापत्रित किया गया तथा उनसे 9,56,778 रु. एकत्रित किया जा सका ।

3.3 इस तरह बाज़ार आसूचना प्रभाग के प्रयासों के फलस्वरूप 82,73,008/- रु. की रकम वर्ष के दौरान अतिरिक्त रूप से एकत्रित की जा सकी ।

IV उप/संपर्क कार्यालय

रबड़ पर उपकर के संग्रह की प्रगति और विविध मंत्रालयों तथा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, राजस्व जैसे विभागों के प्राधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करने और व्यापारियों एवं विनिर्माताओं के कारोबार की निगरानी की दृष्टि से बोर्ड ने केरल के बाहर के प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों में -- याने चेन्नै, बैंगलूर, सेकन्दराबाद, अहम्मदाबाद, कानपुर, मुम्बई, कलकत्ता, जलंधर और नई दिल्ली--नौ उप/संपर्क कार्यालयों का रख रखाव करते हैं । रबड़ के व्यापार में अनुज्ञापत्र देने में या रबड़ माल विनिर्माताओं को रबड़ खरीदने में आवेदकों की योग्यता का निर्धारण इन कार्यालयों का मुख्य कार्य है । रबड़ माल विनिर्माताओं और व्यापारियों के क्रय और उनके स्टॉक की भी आकस्मिक जांच की

जाती है । अनुज्ञापत्रधारियों के बही खाते एवं अभिलेखाओं का सत्यापन भी सुनिश्चित किया था कि उनके द्वारा प्रापण किये गये सारे रबड़ के उपकर के निर्धारण से संबंधित सारे अभिलेख, बही खाते में ठीक प्रकार दर्ज किये गये हैं । रबड़ अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों के उल्लंघन करके रबड़ मालों के विनिर्माण में या रबड़ व्यापार में बिना अनुज्ञापत्रित लोगों का पता लगाने के लिये आकस्मिक जाँचें की गईं ताकि उपकर के राजस्व हानि को रोका जा सकें ।

XXXXXXX

भाग X
सांख्यिकी एवं योजना

1 सामान्य सांख्यिकी

रबड़ की पूर्ति, माँग, स्टॉक तथा मूल्य के आंकडों का नियमित रूप से अनुवीक्षण एवं उनकी बोर्ड एवं सरकार को प्रस्तुति सांख्यिकी एवं योजना विभाग द्वारा अप्रैल 2000 से मार्च 2001 तक की अवधि के दौरान किये गए कार्यकलापों में सम्मिलित हैं । 7/4/200, 30/9/2000 तथा 21/12/2000 को संपन्न बोर्ड की बैठकों में रबड़ की मांग एवं पूर्ति की स्थिति का सामयिक पुनरीक्षण किया गया । इन बैठकों में चर्चा हेतु स्वाभाविक रबड़ क्षेत्र में विद्यमान स्थिति तथा भविष्य के रुख सांख्यिकीय आंकडे सहित टिप्पणियों की तैयारी विभाग ने की ।

रबड़ उत्पादकों, व्यापारियों, प्रसंस्करणकर्ताओं एवं विनिर्माताओं से प्राप्त सांविधिक विवरणियों का एकत्रण, संकलन एवं विश्लेषण हर महीने किया । छोटे कृषकों के संदर्भ में उत्पादन, स्टॉक आदि में अन्तर के पता लगाने के लिए छोटे जोत क्षेत्र में नमूना अध्ययन जारी रखा । विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकडों का संकलन किया गया तथा मासिक आधार पर रबड़ के उत्पादन, उपभोग, आयात एवं स्टॉक आंके गए । "रबड़ स्टाटिस्टिकल न्यूज़" (मासिक) में प्रकाशन हेतु आवश्यक सांख्यिकीय सूचनाओं की तैयारी की । इस प्रकाशन में स्वाभाविक रबड़, कृत्रिम रबड़ एवं सुधारित रबड़ के उत्पादन, उपभोग, स्टॉक, आयात/निर्यात के रुख स्वाभाविक रबड़ का भाव तथा अन्य कई विवरण प्राप्त होते हैं । रबड़ के अधीन क्षेत्र, स्वाभाविक, कृत्रिम एवं सुधारित रबड़ के उत्पादन, उपभोग, आयात, निर्यात, भाव आदि, विनिर्माता, व्यापारी, रबड़ के उत्पाद, श्रमिक आदि के आलावा विश्व रबड़ सांख्यिकी की विस्तृत जानकारीवाले "इंडियन रबड़ स्टाटिस्टिक्स" के भाग 24 का प्रकाशन कार्यालय के ही कंप्यूटर सुविधाएं प्रयुक्त करके मार्च 2001 में किया ।

विभाग ने भारत सरकार एवं रबड़ उद्योग से संबद्ध विभिन्न संगठनों को संबंधित सांख्यिकीय सूचना प्रदान की । रबड़ के आयात/निर्यात, उत्पादन, भाव आदि तथा रबड़ उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर संसदीय सवालों एवं विधान सभा सवालों के उत्तर देने हेतु आवश्यक सामग्रियाँ तैयार की और प्रस्तुत कीं ।

वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में प्रसंस्कृत रबड़ के विभिन्न वर्गों के उत्पादन के निर्णय करने के लक्ष्य से सान्द्रीकृत लाटेक्स, ब्लॉक रबड़, पी एल सी के संसाधकों एवं क्रीप मिलों से

उनकी वार्षिक रिपोर्ट संग्रहित की थी । अंतिम उत्पादों के आधार पर रबड़ के उपभोग आंकने हेतु रबड़ उद्योग के विनिर्माताओं से वर्ष 1999-2000 की वार्षिक विवरणियाँ एकत्रित की थी ।

1988 में छोटी जोत क्षेत्र में स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन के आंकडे एकत्रित करने के लिए शुरू किये गए गणना कार्य रिपोर्ट अवधि में भी जारी रखा था । स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीक प्रयुक्त करके चयनित तथा प्रादेशिक कार्यालय स्तर पर भर्ती किए गणनाकारों की मदद से केरल के 60 गॉवों में गणना कार्य चलाया गया । सांख्यिकी एवं योजना विभाग ने गणना कार्य का संयोजन किया एवं निगरानी की । गणनाकारों के चयन, प्रशिक्षण एवं कार्य निर्दिष्टीकरण में विभाग के तकनीकी अधिकारियों ने क्षेत्रीय पदधारियों की सहायता कीं ।

II योजना

वर्ष 2001-2002 के लिए वार्षिक योजना प्रस्ताव तैयार किया तथा मंत्रालय को प्रस्तुत किया । बोर्ड की उपलब्धियों पर व्यापक टिप्पणी एवं रबड़ बागान उद्योग की पुनरीक्षा तैयार की तथा प्रस्तुत कीं ।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त रबड़ परियोजना की कार्यान्वियन अवधि के दौरान स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन, उपभोग, आयात, स्टॉक, भाव, नीति में परिवर्तन, बाज़ार हस्तक्षेप एवं वैश्विक रुख की पुनरीक्षा तैयार की ।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारत रबड़ परियोजना के पूर्वानुमान प्रतिरूप संघटक में कंप्यूटर आधारित रबड़ उपसंघटक के निर्माण का इरादा था । इस प्रतिरूपण संघटक के तीन ब्लॉक हैं याने आपूर्ति, मांग एवं भाव । भाव, उत्पादन एवं टायर और गैर टायर क्षेत्र के उपभोग के पूर्वानुमान प्रतिरूप अलग से तैयार किए थे तथा सामयिक रूप से अद्यतन कर दिए । इसका परिणाम विश्व बैंक को प्रस्तुत भी कर दिया । रबड़ उद्योग के संबंध में उसके विकास एवं विश्व व्यापार संगठन विनियमों के प्रभाव की भी निगरानी की ।

III विश्व संगठनों को सूचना का प्रदान

III विश्व संगठनों को सूचना का प्रदान

भारत में स्वाभाविक रबड़ उद्योग के संबंध में एसोसिएशन ऑफ नाचुरल रबड़ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ (ए एन आर पी सी), कुलालंपुर, मलेशिया एवं अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन ग्रूप (आई आर एस जी), लंडन जैसे विश्व संगठनों को सूचना प्रदान करना जारी रखा । मितव्ययता के उपाय के रूप में भारत ने जुलाई 2000 में आई आर एस जी से अपनी सदस्यता वापस ली ।

भारत सरकार की ओर से रबड़ बोर्ड ने 13 से 16 मार्च 2001 तक कोची में ए एन आर पी सी के 23 वें अधिवेशन का आतिथ्य किया । अधिवेशन का उद्घाटन श्री एल वी सप्तऋषी, अपर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने किया । रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष श्री एस एम डसलफिन को अधिवेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया । अधिवेशन के बाद ए एन आर पी सी कार्यकारी समिति की 24वीं बैठक भी आयोजित कीं । कार्यकारी समिति ने स्वाभाविक रबड़ उद्योग द्वारा सामना की जानेवाली समस्याओं के जाँच पडताल किए तथा उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की। यह नोट किया गया कि भौगोलिक एवं क्षेत्रीय विकासों तथा राष्ट्रीय मुद्दों ने इस उद्योग की कठिनाइयों को गहरा कर दिया है और सदस्य राष्ट्रों के तुरन्त सहयोग की प्रार्थना की है ।

भविष्य की चुनौतियों के सामना करने के लिए सदस्य राष्ट्रों के सहयोग बढाने हेतु अधिवेशन ने एक कार्यक्रम तैयार किया है । संगठन को और सुशक्त करने की आवश्यकता पर अधिवेशन में ज़ोर दिया गया ।

xxxxxxx

भाग - XI

सांख्यिकीय सारणियाँ

सारणी - 1

प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन, आयात, निर्यात एवं उपभोग

(टण)

महीना		उत्पादन	आयात*	निर्यात	उपभोग (देशी एवं आयातित)
अप्रैल	2000	44105	247	1349	51040
मई	”	47345	505	581	51675
जून	”	40400	1394	995	53225
जुलाई	”	42750	2163	1188	53950
अगस्त	”	45320	481	527	52415
सितंबर	”	56550	973	247	51565
अक्तूबर	”	64825	861	1468	51060
नवंबर	”	72090	832	1748	55450
दिसंबर	”	76850	240	2318	56245
जनवरी	2001	70550	280	1028	52440
फरवरी	”	32515	182	844	50475
मार्च	”	37105	414	1063	51935
योग		**630405**	**8572**	**13356**	**631475**

*स्रोतः वाणिज्यक सूचना एवं सांख्यिकी महा निदेशालय, कोलकत्ता

सारणी - 2

हर महीने के अन्त में प्राकृतिक रबड़ का स्टोक
(टण)

महीना		उत्पादक, व्यापारी एवं संसाधक	विनिर्माता	योग
अप्रैल	2000	135278	49602	184880
मई	”	131517	48958	180475
जून	”	117945	50075	168020
जुलाई	”	113355	44185	157540
अगस्त	”	116395	34000	150395
सितंबर	”	129010	27080	156090
अक्तूबर	”	136715	32475	169190
नवंबर	”	148580	36240	184820
दिसंबर	”	167950	35380	203330
जनवरी	2001	178540	43160	221700
फरवरी	”	161980	41095	203075
मार्च	”	136310	47590	183900

सारणी - 3

कृत्रिम रबड़ के उत्पादन, आयात, एवं उपभोग

(टण)

महीना		उत्पादन*	आयात**	उपभोग
अप्रैल	2000	4401	9014	13455
मई	,,	2913	6308	14340
जून	,,	6136	8697	14450
जुलाई	,,	5751	8670	14310
अगस्त	,,	5819	6229	13850
सितंबर	,,	5443	8354	14180
अक्तूबर	,,	5308	18319	14025
नवंबर	,,	5083	9498	14820
दिसंबर	,,	6563	7626	14785
जनवरी	2001	6504	9128	14330
फरवरी	,,	5597	8654	14050
मार्च	,,	5942	7856	14075
योग		**65460**	**108353**	**170670**

* अस्थायी

**स्रोतः वाणिज्यक सूचना एवं सांख्यिकी महा निदेशालय, कोलकत्ता

सारणी - 4

संसाधित रबड़ के उत्पादन एवं उपभोग

(टण)

महीना		उत्पादन*	उपभोग
अप्रैल	2000	4815	5040
मई	”	5320	5205
जून	”	5435	5450
जुलाई	”	5385	5405
अगस्त	”	5340	5395
सितंबर	”	5235	5280
अक्तूबर	”	5230	5285
नवंबर	”	5390	5430
दिसंबर	”	5210	5260
जनवरी	2001	5020	5080
फरवरी	”	4745	4685
मार्च	”	4995	4745
योग		**62120**	**62260**

*विनिर्माताओं द्वारा देशी क्रय

सारणी - 5

भारत में प्राकृतिक रबड़ के विविध वर्गों के मासिक औसत भाव

(रु./क्विन्टल)

महीना		आर एस एस 1	आर एस एस 2	आर एस एस 3	आर एस एस 4	आर एस एस 5	अवर्गीकृत	आई एस एन आर-5	आई एस एन आर-10	आई एस एन आर-20	आई एस एन आर-50
अप्रैल	2000	3687	3555	3396	3199	3115	3046	3307	3186	3069	3011
मई	,,	3820	3648	3437	3356	3288	3189	3450	3324	3261	3185
जून	,,	3806	3596	3390	3248	3169	3058	3395	3258	3201	3055
जुलाई	,,	3832	3567	3402	3253	3145	3010	3396	3286	3199	2992
अगस्त	,,	3683	3506	3332	3198	3046	2914	3347	3247	2999	2897
सितंबर	,,	3637	3427	3306	3122	2962	2853	3271	3171	2818	2771
अक्तूबर	,,	3566	3374	3266	3061	2930	2831	3220	3120	2745	2699
नवंबर	,,	3408	3242	3142	2909	2762	2613	2996	2896	2496	2402
दिसंबर	,,	3273	3169	3037	2867	2685	2579	2978	2878	2528	2424
जनवरी	2001	3263	3146	3029	2853	2667	2563	3015	2914	2680	2527
फरवरी	,,	3128	3038	2894	2694	2558	2501	2890	2673	2543	2469
मार्च	,,	3047	2961	2828	2667	2578	2483	2869	2667	2538	2476
वार्षिक औसत (2000-01)		3513	3353	3205	3036	2909	2803	3178	3052	2840	2742

सारणी - 4

संसाधित रबड़ के उत्पादन एवं उपभोग

(टण)

महीना		उत्पादन*	उपभोग
अप्रैल	2000	4815	5040
मई	”	5320	5205
जून	”	5435	5450
जुलाई	”	5385	5405
अगस्त	”	5340	5395
सितंबर	”	5235	5280
अक्तूबर	”	5230	5285
नवंबर	”	5390	5430
दिसंबर	”	5210	5260
जनवरी	2001	5020	5080
फरवरी	”	4745	4685
मार्च	”	4995	4745
योग		**62120**	**62260**

*विनिर्माताओं द्वारा देशी क्रय

सारणी - 5

भारत में प्राकृतिक रबड़ के विविध वर्गों के मासिक औसत भाव

(रु./क्विन्टल)

महीना		आर एस एस 1	आर एस एस 2	आर एस एस 3	आर एस एस 4	आर एस एस 5	अवर्गीकृत	आई एस एन आर-5	आई एस एन आर-10	आई एस एन आर-20	आई एस एन आर-50
अप्रैल	2000	3687	3555	3396	3199	3115	3046	3307	3186	3069	3011
मई	,,	3820	3648	3437	3356	3288	3189	3450	3324	3261	3185
जून	,,	3806	3596	3390	3248	3169	3058	3395	3258	3201	3055
जुलाई	,,	3832	3567	3402	3253	3145	3010	3396	3286	3199	2992
अगस्त	,,	3683	3508	3332	3198	3046	2914	3347	3247	2999	2897
सितंबर	,,	3637	3427	3306	3122	2962	2853	3271	3171	2818	2771
अक्तूबर	,,	3566	3374	3266	3061	2930	2831	3220	3120	2745	2699
नवंबर	,,	3408	3242	3142	2909	2762	2613	2996	2896	2496	2402
दिसंबर	,,	3273	3169	3037	2867	2685	2579	2978	2878	2528	2424
जनवरी	2001	3263	3146	3029	2853	2667	2563	3015	2914	2680	2527
फरवरी	,,	3128	3038	2894	2694	2558	2501	2890	2673	2543	2469
मार्च	,,	3047	2961	2828	2667	2578	2483	2869	2667	2538	2476
वार्षिक औसत (2000-01)		3513	3353	3205	3036	2909	2803	3178	3052	2840	2742

सारणी - 6

कुलालम्पुर बाज़ार में प्राकृतिक रबड़ के विविध वर्गों के मासिक औसत भाव

(रु./क्विन्टल)

महीना		आर एस एस 1	आर एस एस 2	आर एस एस 3	आर एस एस 4	आर एस एस 5	एस एम आर-5	एस एम आर-10	एस एम आर-20
अप्रैल	2000	3160	3090	3073	2951	2893	3102	2984	2960
मई	,,	3197	3103	3085	2963	2905	2957	2802	2779
जून	,,	3137	3022	3004	2880	2820	2847	2694	2671
जुलाई	,,	3003	2875	2857	2733	2673	2746	2643	2618
अगस्त	,,	3215	3075	3056	2929	2869	2906	2855	2831
सितंबर	,,	3127	2994	2975	2847	2787	2891	2820	2796
अक्तूबर	,,	3173	3047	3028	2899	2838	2926	2881	2857
नवंबर	,,	3104	3010	2991	2861	2799	2926	2890	2865
दिसंबर	,,	3137	3055	3037	2906	2844	3031	3012	2988
जनवरी	2001	3057	2940	2921	2792	2730	3008	2928	2904
फरवरी	,,	2942	2818	2800	2670	2608	2926	2814	2789
मार्च	,,	2821	2687	2669	2539	2477	2668	2544	2519
वार्षिक औसत (2000-01)		3089	2976	2958	2831	2770	2911	2822	2798

परिशिष्ट

31.03.2001 के अनुसार रबड़ बोर्ड के सदस्यों की सूची

1.	श्री एस मरिया डसलफिन आई ए एस	अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड
2.	सचिव पर्यावरण एवं वन विभाग तमिलनाडु सरकार चेन्नै	नियम 3 के उप नियम (2) के अधीन तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधि
3.	श्री ए जेकब वेलिमला रबड़ कंपनी लि. उप्पूट्टिल भवन, के.के.रोड कोट्टयम	नियम 3 के उप नियम (2) के अधीन तमिलनाडु राज्य के बडे कृषकों का प्रतिनिधि
4.	कृषि उत्पाद आयुक्त, केरल सरकार, कृषि विभाग, सचिवालय, तिरुवनन्तपुरम	नियम 3 के उप नियम (3) के अधीन केरल सरकार का प्रतिनिधि
5.	अध्यक्ष प्लान्टेशन कोरपोरेशन ऑफ केरल लि. कोट्टयम	वही
6.	श्री एम डी जोसफ मण्णिपरंपिल, कांजिरप्पल्ली केरल	नियम 3 के उप नियम (3) के अधीन केरल राज्य के बडे कृषकों का प्रतिनिधि
7.	श्री के जेकब तोमस प्रबंध निदेशक मे.वाणियंपारा रबड़ कंपनी लि. वाषक्काला भवन, के.के रोड कोट्टयम	वही
8.	श्री जोर्ज जोण प्रबंध निदेशक मे. तामरप्पल्ली रबड़ कंपनी लि. कोट्टयम	वही
9.	श्री के जी रवी महा सचिव केरला कर्षका कौंग्रेस तिरुवनन्तपुरम	नियम 3 के उप नियम (3) के अधीन केरल राज्य के छोटे कृषकों का प्रतिनिधि

.	श्री पी.आर.मुरलीधरन पतालिल हाउस एस एन पुरम पोस्ट, कोट्टयम केरल	नियम 3 के उप नियम (3) के अधीन केरल राज्य के छोटे कृषकों का प्रतिनिधि
.	श्री पी बी सत्यन प्लावडा कोच्चुवीडु दक्षिण वाषक्कुलम पोस्ट आलुवा - 5 केरल	वही
.	श्री सुरेश एलवाधी प्रबंध निदेशक एलवाधी रबड़ प्रोडक्टस नई दिल्ली एवं उपाध्यक्ष ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ रबड़ प्रोडक्ट्स मानुफैक्चेरर्स एवं सदस्य, मैनेजमेंट कम्मिटि, ए आई आर आई ए	धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन रबड़ माल निर्माताओं का प्रतिनिधि
3.	श्री वी वी अगस्टिन वलवनतुरुत्तेल इडप्पल्ली पी.ओ, कोचिन	वही
4.	श्री पी लालाजी बाबु महा सचिव ऑल इंडिया प्लान्टेशन वर्केर्स फेडरेशन कोल्लम जिला	धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन श्रमिक हित का प्रतिनिधि
5.	श्री कानम राजेन्द्रन सचिव केरल स्टेट कम्मिटि ऑफ ए आई टी यू सी तिरुवनन्तपुरम	वही
6.	श्री सी के सजी नारायणन 'गायत्री' 11/6, लिंक रोड, अय्यन्तोल, तृश्शूर - 680 003	वही

17.	श्री सी अनन्तकृष्णन महा सचिव कन्याकुमारी जिला रबड़ एस्टेट वर्केर्स यूनियन आई एन टी यू सी, नागाकोड, कुलशेखरम	धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन श्रमिक हित का प्रतिनिधि
18.	श्री ई टी वर्गीस अध्यक्ष इंडियन रबड़ डीलेर्स फेडरेशन रबड़ भवन, कोडिमता कोट्टयम	नियम 3 के उप नियम (4) के अधीन अन्य हितों का प्रतिनिधि
19.	श्री एट्टुमानूर वी राधाकृष्णन वालयिल हाउस एट्टुमानूर कोट्टयम जिला	वही
20.	श्रीमती रमा रघुनन्दन 'स्मृति', अक्किक्कावु पी.ओ चावक्काड, तृश्शूर जिला केरल	वही
21.	श्री जोसफ वाषक्कन वाषक्कामलयिल रामपुरम कोट्टयम	वही
22.	श्री जवहर लाल जयसवाल सदस्य, लोक सभा	धारा 4(3)(ङ) के अधीन संसद सदस्य
23.	रिक्त	वही
24.	श्री रामचन्द्र खुंडिया सदस्य, राज्य सभा	वही
25.	डॉ ए के कृष्णकुमार रबड़ उत्पादन आयुक्त रबड़ बोर्ड, कोट्टयम	पदेन
26.	कार्यकारी निदेशक	रिक्त

◆◆◆◆◆◆◆